खण्ड-250, अंक-2
मंगलवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1886
(28 जुलाई, 1964 ई0)

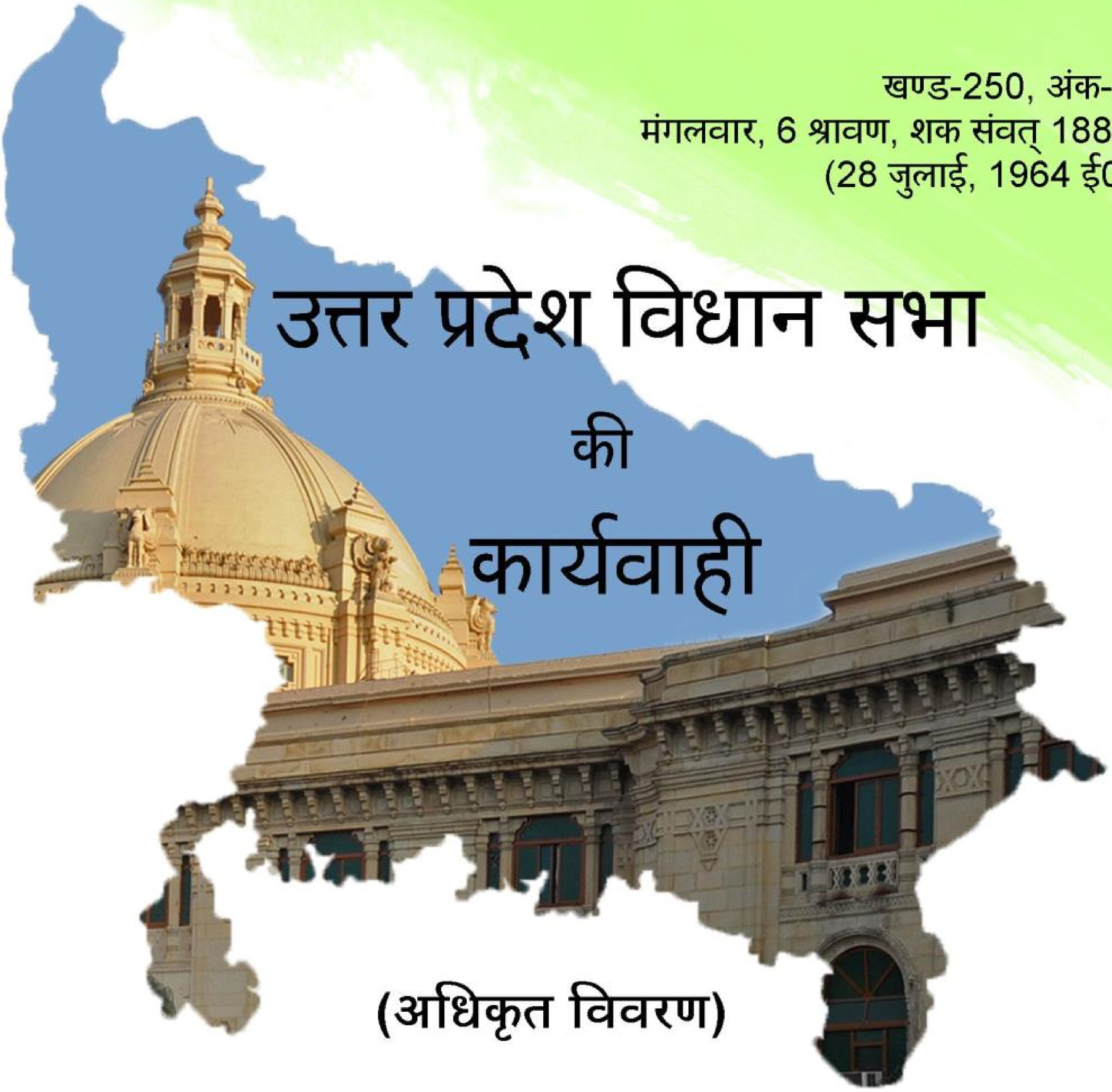

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१५–१९
प्रश्नोत्तर	१९–५३
प्रदेश की गम्भीर खाद्य स्थिति पर विवाद करने एवं मन्त्रि-परिषद् के त्याग-पत्र की मांग	५३–६१
नत्थियां	६२–७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ जुलाई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सतसिंह, यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा उप शिक्षा मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २८ जुलाई, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नैनीताल से वन कार्यालयों का हटाया जाना

**१—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल से बन कार्यालयों को हटाये जाने पर जनता में बड़ा रोष व्याप्त है और वहां की आर्थिक स्थिति पर भी बड़ा भारी आघात पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

जी नहीं, नैनीताल से बन कार्यालयों को हटाये जाने पर नैनीताल से कुछ विरोध हुआ है, परन्तु और स्थानों से इस निर्णय का स्वागत भी किया गया है । जी नहीं, यह कहना ठीक न होगा कि नैनीताल से कुछ लोगों के हटाये जाने से वहां की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष असर पड़ेगा ।

**२—श्री देवेन्द्रसिंह—

क्या सरकार अपने बन कार्यालयों को नैनीताल से हटाने के निर्णय को बदलने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, ऐसा करना वृहत्तर जनहित में न होगा ।

नोट—प्रश्नोत्तर विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत छापे गये ।

तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में गांवों को ऊंचा करना तथा नलकूप लगाना

*१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले की तहसील देवरिया के तप्पा नगवाटीकर में तथा सलेमपुर तहसील के परगना सलेमपुर-मझौली में किन-किन गांवों को नवम्बर, १९६२ से जनवरी, १९६४ तक ऊंचा किया गया ? प्रत्येक गांव को ऊंचा करने में कितना व्यय हुआ ? क्या अब नये गांवों को ऊंचा करने का काम बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो देवरिया जिले में ऊंचा करने का काम ठप क्यों है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

प्रथम भाग—इस क्षेत्र में नवम्बर, १९६२ से जनवरी, १९६४ तक कोई भी ग्राम पूर्ण रूप से ऊंचा नहीं हुआ।

द्वितीय भाग—चूंकि ग्रामों को ऊंचा करने का कार्य जारी है, अतः अभी वह प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय तथा चतुर्थ भाग—ग्रामों को ऊंचा करने का काम अब भी चल रहा है। देवरिया जिले में भी यह कार्य प्रगति पर है।

*२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या, सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिले के गौरीबाजार, रुद्रपुर, बरहज, भकुयानी, बैतालपुर, देवरिया, लार, सलेमपुर, भटनी, भाटपार, बनकटा और भागलपुर विकास क्षेत्रों से १३ मार्च, १९६२ से १७ फरवरी, १९६४ तक कितने प्रश्नकर्त्ता तथा अन्य लोगों द्वारा प्रार्थना-पत्र नलकूप लगाने के लिये इस विभाग को मिले हैं और बतायेंगे कि उन दरख्वास्तों के अनुसार कहां-कहां सरकार नलकूप लगाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग— १३ ।

द्वितीय भाग—जहां नलकूप लगाये जा रहे हैं अथवा लगाये जाने के लिये प्रस्तावित हैं उन गांवों के नाम निम्नलिखित हैं—

१—देवकली,
२—सलेमपुर,
३—घंटी,
४—भटनी,
५—बेलवा बाबू,
६—बहोरवा, तथा
७—सांडा ।

बांसगांव तहसील में जल-निकासी के लिए श्री मोतीसिंह का पत्र

*३—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के ग्राम जमीन लोहारपुर के सभापति, श्री मोती लाल जी ने कोई आवेदन-पत्र अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग, गोरखपुर को जल निकासी के बारे में १९६३ में दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उसकी जांच कब और किस से कराई गई और उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, श्री मोतीसिंह, प्रधान (न कि श्री मोती लाल) और ग्रामवासी जमीन लोहरपुर के दो प्रार्थनापत्र अगस्त व सितम्बर, १९६३ में प्राप्त हुये थे । मामले में जांच अन्तिम बार २१ जुलाई, १९६४ को श्री सुखबीर सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा कराई गई । जमीन लोहरपुर के ग्रामवासियों की मांग है कि उनके ग्राम का एकत्र पानी निकालने के लिये ग्राम पाजूपार के खेत न० ३२७ में नलकूप की गूल के साथ ड्रेनेज क्रासिंग बनाई जाय । यह स्थान उन स्थानों से ऊंचा है जहां का पानी निकाला जाना है और पाजूपार के ग्रामवासी भी इसके पक्ष में नहीं हैं । प्रारम्भिक जांच से पता चला कि इस पानी को निकालने के लिये एक नाला बनाया जा सकता है जो पानी के प्राकृतिक बहाव के मार्ग पर से होता हुआ गंग्रही नदी में गिराया जाय । वर्षा ऋतु के बाद विस्तृत सर्वेक्षण करके समुचित योजना बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

मथुरा जिले में पानी निकासी

*४—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या कारण हैं जिनकी वजह से मथुरा जिलान्तर्गत राया ब्लाक के व्योहई, बिझाहरी, अनोड़ा व कारब इत्यादि गांवों की कई हजार एकड़ भूमि तथा बल्देव ब्लाक के अन्तर्गत झरोठा, अवैरनी, पचावर व हयातपुर क्षेत्र की भी कई हजार एकड़ भूमि सन् १९५८ में वर्षा व गरकी के कारण पूरे वर्ष भर जलमग्न रही और वर्ष १९६३ में भी वही भाग पुनः जलमग्न हो गया और अब तक जलमग्न है जबकि पिछले पांच वर्षों में लाखों रुपये की लागत से इसी क्षेत्र में बल्देव ड्रेन, पचावर ड्रेन, अवैरनी ड्रेन व अलीपुर ड्रेन इत्यादि कई नाले बन चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

सितम्बर, १९५८ में मथुरा के राया तथा बल्देव ब्लाकों के क्षेत्रों में औसतन ११.८ इंच वर्षा हुई जिसके कारण इन क्षेत्रों में क्रमशः लगभग १,८०० एकड़ और १,२०० एकड़ भूमि बाढ़ ग्रस्त हुई और इन्हीं क्षेत्रों में सितम्बर, १९६३ में औसतन १७.९ इंच वर्षा होने के कारण क्रमशः लगभग १२,००० एकड़ तथा ९,००० एकड़ भूमि बाढ़-ग्रस्त हुई ।

इन क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण जल निकासी के लिये सन् १९५६-५७ से १९६१-६२ तक ३८ मील ४ फर्लांग १०० फीट की लम्बाई में बनाये गये नालों का असम्भावित वर्षा के पानी को निकालने के लिये अपर्याप्त होना था ।

*५—श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त क्षेत्र में अब भी कई-कई फुट पानी भरा हुआ है और किसानों की दोनों फसलों में से एक भी फसल नहीं बोई गई है ? अतः क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे भविष्य में इस क्षेत्र के किसानों को वर्षा व गरकी से पीड़ित न होना पड़े ?

श्री गिरधारीलाल—

इन क्षेत्रों के खेतों में अब वर्षा का पानी नहीं है सिवाय उस पोखर के जिससे पचावर नाला निकलता है । किसानों ने रबी १३७१ व खरीफ १३७२ में फसलें बोई हैं । सामान्य वर्षा से भविष्य में बाढ़ व गर्की को रोकने के लिये ३० मील लम्बे नये नालों के निर्माण तथा १६ मील लम्बे पुराने नालों के रिमार्डेलिंग का प्रस्ताव है ।

हमीरपुर बस स्टेशन की इमारत तथा महोबा डिपो के अस्थायी कर्मचारी

*६—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार को पता है कि कण्डक्टरों, ड्राइवरों के ठहरने के लिये जो इमारत हमीरपुर बस स्टेशन पर बनाई गई है वह सारी की सारी फट गई है जिसमें एक रात के लिये भी कोई व्यक्ति नहीं ठहर सका और ठेकेदार को सारा पेमेंट कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी जिनकी जिम्मेदारी में यह इमारत बनाई गई ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

यह सही नहीं है कि कथित इमारत सारी की सारी फट गई है । वास्तव में इस इमारत की दीवारों में कहीं कहीं कुछ दरारें पड़ गई थीं और एक जगह फर्श बैठ गया था। ठेकेदार को पेमेन्ट उक्त खराबियां होने से पहले हो चुका था । आवश्यक मरम्मत ठेकेदार द्वारा अपने ही खर्च पर कर दी गई है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*७—श्री मदनपालसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि महोबा डिपो में राठ व बांदा को छोड़ कर ड्राइवरों की संख्या ७० है जिसमें कुल १० ड्राइवर ही स्थायी पदों में हैं, कण्डक्टरों की संख्या ६० है और उनमें से एक भी स्थायी पद पर नहीं हैं तथा क्लर्क व अन्य कर्मचारियों की संख्या ३० है जिसमें कुल ६ स्थायी पदों पर हैं? यदि हां, तो इतने अस्थायी पद रखने के क्या कारण हैं जब कि कर्मचारियों का सेवा काल १० साल से भी ऊपर हो गया है ? क्या परिवहन मंत्री कोई ऐसा नियम बनाने की कृपा करेंगे कि तीन, चार या पांच साल सेवा करने के उपरांत पद स्थायी कर दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

राठ और बांदा को छोड़कर महोबा डिपो में स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	स्थायी	अस्थायी	योग
ड्राइवर	५	६१	६६
कन्डक्टर	..	५६	५६
क्लर्क	७	३३	४०
अन्य कर्मचारी ..	१६	३८	५४

अस्थायी पद समय-समय पर नियत अनुपात में स्थायी किये जाते हैं, स्थायीकरण के समय ज्येष्ठता व अच्छे रेकार्ड पर विचार किया जाता है ।

यह सम्भव नहीं है कि ३-४-५ वर्ष बाद प्रत्येक कर्मचारी स्थायी कर दिया जावे।

*८—श्री मदनपालसिंह—

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि महोबा से जो लखनऊ मेल चलता है उसके कण्डक्टर को बिना विश्राम पाये डबल ड्यूटी करनी पड़ती है जब कि उसे ओवर टाइम वर्क का भत्ता नहीं दिया जाता ? क्या परिवहन मंत्री को पता है कि महोबा डिपो के कर्मचारियों को वेतन पहली तारीख को न मिल कर १२, १३, १४ तारीखों पर मिलता है तथा ६—६ माह के ओवर टाइम वर्क के भत्तों के बिल पड़े हुये हैं ? क्या सरकार कर्मचारियों का भुगतान समय पर करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

केवल तीन कण्डक्टरों से इस मार्ग पर उनकी इच्छानुसार डबल ड्यूटी ली गई जिसका ओवर टाइम भत्ता उनको दे दिया गया है।

रेगुलर कर्मचारियों के ७ तारीख तक व दैनिक वेतन पर कार्य करने वालों को १०तारीख तक वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। पहली तारीख को प्रशासकीय कारणों से वेतन का भुगतान करना सम्भव नहीं है। अप्रैल, १९६४ तक के ओवर टाइम भत्ते का भुगतान कर दिया गया है।

सुल्तानपुर जिले में सिंचाई

*९—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जामो, मुसाफिरखाना, गौरीगंज तथा मटुआ में नहर विभाग द्वारा असिंचित खेतों को सिंचित भूमि दिखाया गया है जिससे जनता को महान् आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो इसकी क्या व्यवस्था की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

*१०—क्या सरकार को यह भी विदित है कि उपरोक्त विकास खण्डों में ऐसी भी भूमि को सिंचित दिखाया गया है जिन पर फसलें बोई ही नहीं गयीं? यदि हां, तो इस पर क्या व्यवस्था की जायगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में नलकूप

*११—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के रानीपुर ब्लाक के अन्तर्गत कमथरी, कमरवा, नासिरपुर तथा मन्दे ग्राम तथा चिरैयाकोट ग्राम ब्लाक जहानगंज व गजहड़ा ग्राम ब्लाक सठियांव के लोगों ने अपने-अपने गांवों में ट्यूबवेल लगवाने के लिये जिला अधिकारी, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ को प्रार्थना-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्या सिंचाई मंत्री उक्त स्थानों पर ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, केवल ग्राम नसीरपुर के निवासी डा० आर० ए० मिश्रा ने एक पत्र दिया था और उसी के लिए श्री सुरजन राम ने भी पत्र दिया था, जिसमें ग्राम कमथरी व नसीरपुर में नलकूप लगाने के लिए कहा गया है। आवश्यक जांच के बाद एक नलकूप ग्राम नसीरपुर में लगाये जाने का विचार किया जा रहा है। कमथरी तथा मन्देमाफी ग्रामों में एक-एक नलकूप लगाने के लिए सर्वेक्षण कराये जाने का विचार है। चिरैयाकोट में अलग से नलकूप लगाने की योजना नहीं है क्योंकि इस ग्राम का क्षेत्र यदि मन्देमाफी ग्राम में नलकूप लगा तो उसके कमाण्ड में आ जायेगा। जहां तक ग्राम गजहड़ी में नलकूप लगाने का प्रश्न है स्थिति यह है कि एक अन्य ग्राम दामोदरपुर में नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण करने पर विचार किया जा रहा है और यदि इस ग्राम में नलकूप लगाया गया तो गजहड़ी भी उसके कमांड में आ जायगा।

फियट कार्स

*१२—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर), श्री विजयपालसिंह तथा श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १ अप्रैल, १९६२ से ३१ जनवरी, १९६३ तक Fiat cars की खरीद के लिये सरकार ने किन-किन को प्राथमिकता प्रदान की और क्यों ?

*१३—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि Fiat cars की इस समय जो कीमत है और उनकी मार्केट-प्राइस में एक भारी अन्तर है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

रिहन्द परियोजना के अन्तर्गत हरिजन कर्मचारी

*१४—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर) तथा श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा जलविद्युत् में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इस में रिहन्द बांध में निर्वासित जनता कितनी है ?

श्री गिरधारीलाल—

रिहन्द परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा विद्युत् विभाग में क्रमशः ४३० तथा १,३८३ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से २३ व्यक्ति निर्वासित लोगों में से हैं।

*१५—श्री रामप्यारे तथा श्री बेचनराम—

क्या यह बात सही है कि जैसे चपरासी, बरकन्दाज, आदि पदों पर भी निर्वासितों को न रख कर बाहरी आदमियों को ही नौकरी में रखा जाता है जब कि स्थानीय निर्वासित जनता को वरीयता देने का सरकार ने आदेश दे रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

चपरासी तथा बरकन्दाज के पदों पर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे गये व्यक्ति नौकरी में रखे जाते हैं और इनमें यदि निर्वासित व्यक्ति होते हैं तो उनको वरीयता दी जाती है।

*१६—श्री रामप्यारे तथा श्री बेचनराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों में हरिजनों की प्रतिशत संख्या क्या है ? यदि उनकी संख्या कोटानुसार नहीं है, तो क्या सरकार ऐसा आदेश करेगी कि उनको १८ प्रतिशत रखने के बाद ही दूसरे अभ्यर्थियों की भर्ती की जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई तथा विद्युत् विभाग में उपर्युक्त कर्मचारियों में हरिजनों की प्रतिशत संख्या क्रमशः १५.१ तथा ६ है। सरकारी नौकरियों में १८ प्रतिशत हरिजनों को रखने के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं, परतु अधीनस्थ कार्यालयों का ध्यान इस ओर पुनः आकर्षित किया जा रहा है।

शाहजहांपुर–लखनऊ बस में बिना टिकट यात्री

*१७—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर), श्री मन्नालाल (जिला खीरी), श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल सन् १९६३ ई० में शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली बस नम्बर ५५२३ में बिला टिकट यात्रा करते हुये लोगों को श्री जी० डी० तिवारी, ए० जी० एम० ने पकड़ा था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, चेकिंग के समय श्री जी० डी० तिवारी ने कण्डक्टर को ५ सवारियों का टिकट बनाते हुए पाया था। टिकट पूरी तरह बनाये बगैर गाड़ी को आगे बढ़ा देने के लिये उहोंने संबंधित कर्मचारियों को मौखिक चेतावनी दी थी।

*१८—श्री श्रीराम, श्री मन्नालाल, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री मुकुटबिहारीलाल तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह भी सच है कि उक्त बस में शाहजहांपुर के बस स्टेशन इन्चार्ज श्री रिजवी भी यात्रा कर रहे थे और उनके ही इशारे से बिला टिकट पांच यात्री यात्रा कर रहे थे? यदि हां, तो उक्त इन्चार्ज के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

श्री रिजवी उक्त बस में यात्रा कर रहे थे, परन्तु यह सही नहीं है कि उक्त पांच यात्री उनके इशारे पर यात्रा कर रहे थे। अतः प्रश्न नहीं उठता।

नलकूप खण्ड, आजमगढ़ के अस्थायी कर्मचारी तथा श्री रामसिंह गुप्त ओवरसियर के विरुद्ध जांच

*१९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि नलकूप खण्ड आजमगढ़ में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो ५ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं परन्तु उन्हें स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो सरकार ने उन्हें क्यों नहीं किया और क्या अब स्थायी करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां; ऐसे कुल २४६ कर्मचारी हैं। इनको अब तक स्थायी न किये जा सकने के निम्नलिखित कारण हैं:—

क—स्थायी पदों का अभाव।

ख—वरिष्ठता सूची के आधार पर बारी न आना।

ग—कुछ कर्मचारियों के पास वांछित शैक्षिक योग्यता का न होना।

२—जितने स्थायी पद इस समय उपलब्ध हैं उन पर स्थायीकरण का विचार हो रहा है और जैसे ही औपचारिक कार्यवाही इस सम्बन्ध में पूरी हो जायेगी, स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

*२०—श्री गयाप्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सिंह गुप्त, ओवरसियर, लालगंज, आजमगढ़ के विरुद्ध सैकड़ों बोरा सीमेन्ट गायब करने का पत्र, दिनांक २८ अगस्त, १९६३ का उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गिरधारीलाल--

उक्त पत्र तो नहीं मिला था परन्तु आजमगढ़ के श्री रामप्यारे उपाध्याय वकील का दिनांक २७-८-६३ का पत्र मिला था। इस पत्र के आधार पर विभागीय जांच की गई है और आगे कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर महापालिका अन्तर्गत गांवों में सिंचाई दर

*२१--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर महापालिका के अंतर्गत लिये हुये ग्रामों में सिंचाई की दरें फतेहपुर डिवीजन एवं कानपुर डिवीजन में सन् १९६० से सन् १९६४ तक क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

चूंकि ये ग्राम महापालिका के क्षेत्र में आ गये हैं अतः नियमतः इनमें सिंचाई के लिए २४रु० प्रति एकड़ तोड़ तथा १२ रु० प्रति एकड़ डाल का ही रेट लागू होना चाहिए किन्तु प्रारम्भ के वर्षों में इन गांवों के कृषकों को कुछ छूट देने के विचार से उनसे वही दरें जो वे नगरमहापालिका के क्षेत्र में आने के पूर्व देते आये हैं, १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६४ तक वसूल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बेतवा नहर खण्ड, उरई के अन्तर्गत पुल-निर्माण योजना

*२२--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १० फरवरी, १९६२ में पत्र संख्या पी-५५ (बी)/४ के द्वारा ग्राम सभापति खैराबर को अधिशासी अभियन्ता, बेतवा नहर खण्ड उरई ने खैराबर और सुलखना के बीच पुल बनवाने का कोई आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो वह किस माइनर पर और कौन से स्थान पर बनाया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--यह पुल रवकसीस रजबहा के मील ३-३-३३० पर निर्माण कराया जायगा।

*२३--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला जालौन में खैराबर ग्राम तथा अन्य ग्रामवासियों को आने जाने में बड़ी असुविधा है, क्योंकि काश्तकारों की भूमि रजबहा के दोनों ओर पड़ती है ? यदि हां, तो उपरोक्त पुल बनवाये जाने का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, उक्त पुल का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

*२४--श्री विजयसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त खकसीस रजबहा पर खैराबर और सुलखना के बीच जो पुल बनेगा, उसको अब तक न बनवाये जाने और विलम्ब किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--

खकसीस रजबहा मील ३-१-३३० पर उल्लिखित ग्रामों के बीच एक पुल मौजूद है क्योंकि उक्त पुल के केवल २ फर्लांग के बाद (अर्थात् मील ३-३-३३० पर) एक नये पुल का निर्माण होना था इसलिये नये पुल के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूर्ण रूपेण जांच करने तथा निर्णय लेने में समय लगा ।

वाराणसी जिले में नलकूप क्षेत्र

*२५--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने ट्यूबवैल कहां-कहां लगाये गये हैं और कमांड एरिया हर ट्यूबवैल का कितना-कितना है ?

श्री गिरधारी लाल--

वांछित सूचना संलग्न तालिका† में दी हुई है ।

ज्ञानपुर तहसील में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*२६--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील में भिखारी रामपुर, डंगहर, बलिभद्रपुर, बहरची तथा महुआपुर का कुछ हिस्सा नलकूप न होने से सिंचाई से वंचित रह जाता है, जो लगभग ६-७ सौ एकड़ है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां ।

*२७--श्री हरिगैनराम--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गत सन् १९६३ के मई-जून में भिखारी-रामपुर के नाम से सर्वे हुआ था, तो आज तक नलकूप न लगने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं, ऐसा कोई सर्वे हुआ ही नहीं ।

*२८--श्री हरिगैनराम--

इन दिक्कतों को देखते हुये तथा जनहित का खयाल रखते हुये क्या शीघ्र ही नलकूप लगवाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

इस वर्ष यहां एक नलकूप बनाने की योजना है ।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*२९--श्री रघुवीर--

गत २५ फरवरी, १९६४ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जितने नलकूप किसी भी कारणवश नहीं चलते उन नलकूपों को क्या सरकार हटाने की व्यवस्था करेगी और उन नलकूपों के स्थान पर दूसरे नलकूप लगाये जायेंगे ?

---

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री गिरधारीलाल--

२५ फरवरी, १९६४ को तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार गाजीपुर जिले में ऐसे नलकूपों की संख्या जो किसी भी कारणवश नहीं चलते, ७ हैं। इन नलकूपों में से ६ नलकूपों के स्थान पर नये ६ नलकूप लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सातवां नलकूप भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल्स आर्गनाइजेशन द्वारा बनाया गया था। सिंचाई योग्य न होने के कारण इसको राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। अतः इस नलकूप के स्थान पर दूसरे नये नलकूप लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में नलकूपों से सिंचाई

*३०--श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं और १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में प्रत्येक नलकूप पर विवरणवार कितने एकड़ की सिंचाई हुई ?

श्री गिरधारीलाल--

गोंडा जिले में कुल १३४ राजकीय नलकूप हैं और १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में प्रत्येक नलकूप द्वारा जितने एकड़ की सिंचाई हुई थी उसकी सूची अगर माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं ?

इटावा जिले के सिंचाई विभाग में हरिजन कर्मचारी

*३१--श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय जिला इटावा में सिंचाई विभाग में कुल कितने उच्च अधिकारी तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और इनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

इस समय जिला इटावा में सिंचाई विभाग में ५३४ राजकीय कर्मचारी हैं जिनमें १० उच्च अधिकारी, १७७ तृतीय श्रेणी के कर्मचारी तथा ३४७ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। इन में ५६ हरिजन तथा १६६ पिछड़ी जाति के हैं।

*३२--श्री घासीराम जाटव--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों में से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

उक्त कर्मचारियों में से २६१ कर्मचारी स्थायी और २७३ अस्थायी हैं।

बाराबंकी जिले में नलकूप

*३३--श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में किन-किन ब्लाकों में बिजली द्वारा ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

बाराबंकी जिले में २६ नलकूप लगाने का प्रस्ताव है इनमें से १४ नलकूप जिनके १९६५-६६ के अन्त तक तैयार होने की आशा पाई जाती है निम्नलिखित ब्लाकों में लगाये जा रहे हैं :--

बंकी ब्लाक

रामनगर ब्लाक

सूरतगंज ब्लाक

शेष १२ नलकूपों का स्थान आदि भी अभी निश्चित नहीं है अतएव इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि यह नलकूप किन-किन ब्लाकों में लगेंगे ।

सिंचाई कर की वसूली

*३४--श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह इस बात का निर्णय कर चुकी है कि सिंचाई कर की वसूली द्विभागीय महसूल के ढंग पर की जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

केवल नलकूपों पर द्विभागीय महसूल पद्धति को लागू करने का सम्प्रति निश्चय किया गया है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी विधान सभा में पुरः स्थापित किया जा चुका है ।

घाघरा पर टेढ़िया बांध का कटाव

*३५--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में सरकार द्वारा कोई टेढ़िया बांध घाघरा नदी पर बनाया गया है और वह बांध कट रहा है ? क्या प्रश्न कर्त्ता ने एक पत्र, १९६३ में सिंचाई मंत्री को लिखा था कि उसे लकड़ी का बंडाल (ठोकर) बना कर रोक दिया जाय ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, टेढ़िया बांध का थोड़ा-सा भाग कट गया है । इस विषय पर माननीय सदस्य का एक पत्र सितम्बर, १९६२ में प्राप्त हुआ था । उचित जांच के बाद यह निश्चय किया गया कि नदी के आचरण को देखा जाय तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही की जाय । बांध के कटे भाग की मरम्मत करने हेतु सर्वेक्षण के बाद अब एक प्राक्कलन बनाया गया है जिसकी जांच हो रही है ।

*३६--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त बांध के कट जाने के कारण लगभग १ दर्जन गांवों की आबादी को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो वे गांव कौन-कौन हैं और उनको बचाने के लिये सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

उपरोक्त बांध के कट जाने से जिन ग्रामों पर प्रभाव पड़ेगा उनकी सूची संलग्न है परन्तु इस समय इन गांवों को कोई खतरा नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२ पर) ।

बलिया जिले में कार्तिकी मेले पर प्राइवेट बस सर्विस

*३७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के अवसर पर सन् १९६१, ६२ व १९६३ ई० में अलग-अलग रोडवेज की बसों से कितनी आमदनी हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आमदनी इस प्रकार है—

सन् १९६१ में ४१,७२१ रू० २८ पै०

सन् १९६२ में ५४,२५३ रू० ५४ पै०

सन् १९६३ में ४५,२५० रू० ३६ पै०

*३८—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या यह सत्य है कि सन् १९६३ ई० में कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के अवसर पर बलिया जिले में रोडवेज की बसों के अलावा प्राइवेट बसें भी उन्हीं सड़कों पर चली हैं जिन पर रोडवेज की बसें चलती थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

*३९—श्री जगन्नाथ चौधरी—

यदि हां, तो प्राइवेट बसों को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और वह कौन-कौन सी किस जिले की गाड़ियां थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यात्रियों की सुविधा के लिये जिलाधीश बलिया ने दो अस्थायी परमिट तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी इलाहाबाद ने ५ अस्थायी परमिट दिये थे जिनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६३ पर) ।

गोरखपुर जिले में पटाई कार्य

*४०—श्री रामसूरतप्रसाद तथा श्री यादवेन्द्रसिंह (जिल गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में सदर, बांसगांव, फरेंदा तथा महाराजगंज तहसीलों में अलग-अलग किन-किन गांवों तथा उससे सम्बन्धित टोलों की पटाई सन् १९६२-६३ में करायी गयी तथा कौन-कौन से सहायक अभियन्ता कहां-कहां के इंचार्ज रहे ?

श्री गिरधारीलाल—

गोरखपुर जिले की सदर, बांसगांव, फरेन्दा तथा महाराजगंज तहसीलों में ७९ गांव तथा उनसे सम्बन्धित टोलों की सन् १९६२-६३ में पटाई का कार्य आरम्भ किया गया । इनमें से १३ गांवों की पटाई पूर्ण रूप से उस वर्ष समाप्त हो गई और शेष ६६ गांवों पर कार्य अपूर्ण रहा । इन गांवों की सूची यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं ।

इस कार्य के इंचार्ज सर्वश्री देवेन्द्र कुमार, मुहम्मद गुफरान, आर० सी० गुप्ता, आर० के० गुप्ता, मुहम्मद सानाउल्ला और सैय्यद खालिद, सहायक अभियन्ता रहे ।

*४१—श्री रामसूरतप्रसाद तथा श्री यादवेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त तहसीलों में कौन-कौन से गांव तथा संबंधित टोलों की पटाई सन् १९६३-६४ में करायी जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

गोरखपुर जिले की उक्त तहसीलों में ११९ गांव तथा उनसे संबंधित टोलों की पटाई पर १९६३-६४ में कार्य किया गया। इन गांवों की सूची भी यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

बस्ती जिले में पटाई तथा बांध निर्माण-कार्य

*४२—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने सिंचाई विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में किन-किन ग्रामों को ऊंचा करने तथा बांध का कार्य करने का सरकार ने निश्चय किया है ?

श्री गिरधारीलाल—

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में १५० ग्रामों पर पटाई तथा दो बांधों पर निर्माण कार्य करने का कार्यक्रम है। इनके नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे ६४-६५ पृष्ठ पर)

*४३—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त जिले में डुमरियागंज, सहजनवां बांध जो बनने वाला है उसका एलाइनमेन्ट पुराना होने के नाते आज वह एलाइनमेन्ट नदी से बहुत दूर तीन-तीन मील पड़ गया है ? यदि नहीं, तो बांध की अधिक से अधिक दूरी क्या है और कम से कम क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, नदी के वर्तमान बहाव से बांध के अनुरेखणों की अधिकतम दूरी दो मील तथा न्यूनतम दूरी एक फर्लांग है।

ज्ञानपुर तहसील में नलकूपों की आवश्यकता

*४४—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव इनारगांव व सेमराद, नरगदा, पुरवा, महमदपुर व इब्राहीमपुर बदरी, जगदीशपुर, गोपालपुर, दानीपट्टी, डुहिया, केदारपुर, बिलासपुर, बीसा, बिहरोजपुर, चितईपुर, तहसील ज्ञानपुर ब्लाक डीह, जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु इनारगांव, चितईपुर, बदरी डुहिया, सेमराद में ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी, जिसके बारे में एक पत्र प्रश्नकर्त्ता ने सिंचाई मंत्री को २ मार्च, १९६४ को लिखा था ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के पत्र दिनांक १५-४-१९६४ में माननीय सदस्य को उनके २ मार्च, १९६४ के पत्र के उत्तर में सूचित किया जा चुका है ग्राम इनारगांव का अधिकांश क्षेत्र तथा नरगदा का कुछ क्षेत्र पहले से ही राजकीय नलकूपों के कमाण्ड में है। शेष गांव नदी के किनारे पड़ते हैं तथा क्षेत्र रेतीला है। इस कारण तथा आस-पास लगे नलकूपों का परफार्मेन्स अच्छा न होने के कारण इस क्षेत्र में नलकूप निर्माण व्यवहार्य नहीं है।

परिवहन विभाग के विरुद्ध विधायकों की शिकायतें

*४५—श्री शिवनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, सन् १९६३ से २९ फरवरी, सन् १९६४ तक कितनी कम्प्लेन्ट्स कानपुर व लखनऊ रीजन के अन्तर्गत विधायकों द्वारा परिवहन विभाग को की गयीं ? उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कब करायी गयी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस प्रश्न से संबंधित सूचना तालिकाएं बहुत विस्तृत हैं। अतः माननीय सदस्य उन्हें कृपया मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप के कर्मचारी

*४६—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप जो कि एक राजकीय प्रतिष्ठान है उसमें कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सरकार सरकारी कर्मचारी नहीं मानती ? क्या उनके संबंध में कोई सेवा नियमावली है तथा उन्हें अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ५ रुपये की वेतन-वृद्धि दी गयी है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप में १,७५४ कर्मचारी हैं जो सभी सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से १,३०५ वर्कचार्ज्ड कर्मचारी हैं जिनके संबंध में अलग नियमावली बन रही है। ५ रु० की एड-हाक वेतन वृद्धि वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को नहीं दी गई क्योंकि वह इस वर्ग के कर्मचारियों के लिये नहीं थीं।

ज्ञानपुर तहसील के बिन्दई गांव में पुल निर्माण योजना

*४७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के ब्लाक डीह में किशुनदेवपुर से होते हुए जो ग्राम रास्ता सेमराद को जाता है, उसमें पड़ने वाले बिन्दई के नाले में बिन्दई गांव में वह पुल बनवाने जा रही है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक २ मार्च, १९६४ को भी सिंचाई मंत्री, विकास मंत्री, मुख्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—जी हां।

तृतीय भाग—माननीय सदस्य को उनके पत्र का उत्तर ११ मार्च, १९६४ को दे दिया गया था।

बिजनौर व मुरादाबाद क्षेत्र में नलकूपों के लिये नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट

*४८—श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६३ में बिजनौर व मुरादाबाद खण्ड के कितने लोगों ने नलकूप लगाने के लिये नो आबजेक्शन सार्टिफिकेट के लिए सिंचाई विभाग को प्रार्थना-पत्र भेजे और इनमें से कितने लोगों को सार्टिफिकेट दिय गये और कितनों के अस्वीकार कर दिये गये और किन कारणों से ?

श्री गिरधारीलाल—

कुल २१५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इसमें से अब तक १२८ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत तथा ७६ प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये गये। इन प्रार्थना-पत्रों के अस्वीकृत किये जाने का मुख्य कारण यह था कि वे नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिये जाने के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते थे।

*४९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि जो नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने में इन दोनों डिवीजनों में सरकार के इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है कि जिसके पास दस एकड़ भूमि है उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाय? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट के लिये प्रार्थी के पास १० एकड़ भूमि होने के अलावा एक शर्त यह भी थी कि लगाये जाने वाले निजी नलकूप की दूरी राजकीय नलकूप से ४ फरलांग से कम नहीं होनी चाहिए। मुरादाबाद व बिजनौर नलकूप डिवीजनों में इस नियम के उल्लंघन की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है, अतएव इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*५०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मंत्री को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इन दोनों डिवीजनों में जिलेदार व संबंधित क्लर्क रिश्वत लेने की वजह से लोगों को परेशान करते हैं और नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के मिलने में बाधायें डालकर सिंचाई के साधनों के विकास की योजनाओं को हानि पहुंचा रहे हैं? यदि हां, तो क्या उन लोगों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जायगी?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूप डिवीजन बिजनौर में हेड मुन्शी के विरुद्ध नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के संबंध में तीन गुमनाम शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी जांच की गई। यद्यपि कोई शिकायत सत्य प्रमाणित नहीं हो पाई फिर भी हेड मुन्शी का स्थानान्तरण नलकूप डिवीजन, बदायूं कर दिया गया है।

नलकूप डिवीजन मुरादाबाद में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिंचाई परामर्शदात्री समिति, फर्रुखाबाद

*५१—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में सिंचाई संबंधी मामलों की प्रगति करने तथा उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने पर बिचार करने के लिये कमेटियां बनी हैं जिनकी बैठक विभागीय अधिकारियों द्वारा बुलाये जाने की व्यवस्था है? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन कमेटियों के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति होते हैं?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, प्रत्येक जिले में सिंचाई परामर्शदात्री समिति है जो सिंचाई के विकास तथा उनसे संबंधित जनता की समस्याओं को हल करती है तथा उत्पन्न सिंचन क्षमता का अधिकाधिक उपभोग करने के उपायों पर बिचार करती है। समिति के सदस्यों का विवरण संलग्नक १ में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६६ पर)

*५२—श्री महरामसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में सिंचाई संबंधी मामलों पर बिचार करने के लिये अधिकारियों ने जनवरी, सन् १९६३ से लेकर फरवरी, १९६४ तक कितनी बैठकें बुलायी हैं ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जनवरी, सन् १९६३ से फरवरी, १९६४ तक समिति की केवल एक बैठक २६-९-६३ को बुलाई गई जिसे कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर देना पड़ा। अन्य बैठकों के न बुलाये जाने के कारण संलग्नक २ में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६७ पर)

गोंडा जिले में सिंचाई

*५३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में विकास खण्डों रुपईडीह, कटरा बाजार, पड़री कपाल, मुजहना, झझरी में अलग-अलग सिंचाई की कौन-कौन सी सुविधायें हैं और उनमें अलग-अलग कितनी एकड़ सिंचाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल—

रुपई डीह, पड़री कपाल, मुजहना तथा झझरी विकास खण्डों में सिंचाई की सुविधाओं तथा सिंचित क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है —

नाम विकास खण्ड		वर्तमान सिंचाई साधन		सिंचित क्षेत्र
				एकड़
१—रुपई डीह	..	३—राजकीय नलकूप	..	६८५
२—पडरी कपाल	..	१३—राजकीय नलकूप	..	२,६५५
३—मुजहना	..	९—राजकीय नलकूप	..	१,५४७
४—झझरी	..	७—राजकीय नलकूप	..	१,१२७

कटरा बाजार विकास खण्ड में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

*५४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे इन विकास खण्डों में सिंचाई की सुविधायें बढ़ सकें और यह देखते हुए कि जब तक सरजू कैनाल योजना बन्द है और भविष्य में उसके चालू होने की कोई आशा नहीं है, सरकार सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप लगाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

गोंडा जिले में ३७ नलकूप लगाने की योजना है। प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर में उल्लिखित क्षेत्रों में अब तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार केवल मुजहना विकास खण्ड में एक और नलकूप प्रस्तावित है जिसका निर्माण १९६५-६६ तक होने की आशा है।

*५५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जिला गोंडा में विकास खण्ड कटरा बाजार में धर्मपुर बांध तथा उडिला तालाब का पानी टेढ़ी नदी में गिराने की नयी व्यवस्था की है और कितने ग्रामों को ऊंचा करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

गोंडा जिले के कटरा बाजार विकास खंड में धर्मपुर बांध तथा उडिला तालाब का पानी टेढ़ी नदी में गिराना सम्भव नहीं है। विकास खण्ड कटरा बाजार में कोई भी ग्राम ऊंचा करने की योजना नहीं है।

गरौठा तहसील में नदियों से कटाव

*५६—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले की गरौठा तहसील का पूर्वी भाग व पश्चिमी भाग धसान व बेतवा नदी के किनारे तेजी से कट रहे हैं ? यदि हां, तो उस कटाव के रोकने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिलाधिकारी से इस विषय में सूचना अपेक्षित है। प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

माडल वर्कशाप

*५७—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रुड़की में कोई माडल वर्कशाप खोलने की योजना सरकार द्वारा बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ और यह वर्कशाप काम कर रहा है या नहीं ? यदि काम कर रहा है, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*५८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री का ध्यान उपरोक्त वर्कशाप पर आडिट रिपोर्ट की टिप्पणियों पर गया है ? यदि हां, तो सरकार को उक्त टिप्पणी कब मिली है और अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

कटेहर क्षेत्र में शारदा नहर से सिंचाई

*५९—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के कटेहर विधान सभा क्षेत्र में शारदा नहर की दानगंज शाखा और चोलापुर शाखा से अलग-अलग १९६२ में रबी की फसल की कितने-कितने एकड़ सिंचाई की गई और १९६३ में यह सिंचन क्षमता इन शाखाओं की बढ़ी या घटी ? यदि घटी, तो कितने-कितने प्रतिशत और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

दानगंज तथा चोलापुर माइनर से सन् १९६२ यानी रबी १,३७० फसली में क्रमशः ५१४ और ४१८ एकड़ की सिंचाई हुई। सन् १९६३ यानी १,३७१ फसली में इन दोनों माइनरों से सिंचाई क्रमशः १२१ तथा २९८ एकड़ हुई जो गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः ७६ प्रतिशत तथा २९ प्रतिशत कम है। इसका कारण गत वर्ष सूखा पड़ने से शारदा नदी में जल की अत्यधिक कमी थी जिससे नहरों में पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाहित नहीं किया जा सका।

*६०--श्री रघुनाथसिंह--

शारदा नहर की उपरोक्त दोनों शाखाओं से इस विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने-कितने एकड़ सिंचाई करने का लक्ष्य नहर विभाग ने निर्धारित किया है और उसमें कितने-कितने प्रतिशत तक अभी तक सिंचाई की व्यवस्था की जा सकी है और शेष भू-भाग को कितनी अवधि तक सिंचित कर सकने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल--

दानगंज माइनर से ३९१ एकड़ तथा चोलापुर माइनर से ९१४ एकड़ भूमि रबी की सिंचाई के लिए निर्धारित की गई थी। दानगंज माइनर द्वारा, निर्धारित लक्ष्य से अधिक यानी १३१ प्रतिशत, सिंचाई की जा चुकी है। चोलापुर माइनर से अब तक इसके निर्धारित लक्ष्य की ७५ प्रतिशत सिंचाई हुई है। चोलापुर माइनर पर अग्रिम पांच वर्षों में गूलों का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाने पर सिंचाई का लक्ष्य पूर्ण हो जाने की आशा है।

*६१--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित कांग्रेसकर्मी श्री कमलाप्रसाद सिंह, संयोजक, कृषक समाज का १८ अप्रैल, १९६४ का पत्र मिला है ? उस पत्र में उनकी मुख्य शिकायतें और सुझाव क्या हैं और उस पत्र की पृष्ठ भूमि में सिंचाई मन्त्री इस सम्बन्ध में क्या सुधार और अनुकूल व्यवस्था करने की सोच रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। पत्र में उल्लिखित सुझावों तथा उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी माननीय सदस्य मेरे कार्यालय से कर सकते हैं।

अनूपशहर ब्रांच गंगा नहर पर पुल चौड़ा करने की योजना

*६२--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार अनूपशहर ब्रांच गंगानहर (मेरठ डिवीजन) पर कांच रोड के स्थान में एक बड़े पुल के निर्माण की योजना बनाने की कृपा करेगी क्योंकि वहां एक चौड़े पुल की अत्यन्त आवश्यकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न में उल्लिखित स्थान पर एक मवेशियों का पुल (cattle bridge) पहले से बना हुआ है। इस पुल को चौड़ा करने का प्रस्ताव अनुमोदित हो चुका है।

चरदा क्षेत्र में नलकूपों की बोरिंग तथा विद्युती करण

*६३--श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र चरदा, जिला बहराइच में कितने राजकीय नलकूपों का बोरिंग किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--

इस क्षेत्र में ६ राजकीय नलकूपों की बोरिंग की गई है।

*६४--श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार विधान सभा क्षेत्र चरदा, जिला बहराइच में ग्राम नवाबगंज अलियाबाद, ग्राम मलहीपुर ग्राम निशानगाढ़ा, रुपैडिहा में शीघ्र से शीघ्र, विद्युतीकरण की व्यवस्था करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल--

इन स्थानों का विद्युतीकरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड यानी १,००० जन-संख्या पर १ १/२ मील लम्बी लाइन बनाने के अनुसार संभव नहीं है।

*६५--श्री प्रेमसिंह--

[२रे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जखौरा ग्राम के तालाब पर सिंचाई विभाग का कब्जा

*६६--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव जखौरा, तहसील ललितपुर, जिला झांसी के एक तालाब में सिंचाई विभाग ने कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो इसका नोटिफिकेशन कब किया गया और क्या गांव समाज को कोई नोटिस इस सम्बन्ध में दी गई थी?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। असाधारण नोटीफिकेशन दिनांक ११ अगस्त, १९५३ को किया गया। ग्राम समाज को इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा नोटिस देने की आवश्यकता न थी।

*६७--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, १९६३ को सिंचाई मन्त्री को झांसी में तथा २३ जनवरी, १९६४ को स्वयं प्रश्नकर्ता सिंचाई मन्त्री को इस सम्बन्ध में चेयरमैन, गांव समाज, जखौरा का एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसे मंत्री जी ने चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को दे दिया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

गोरखपुर जिले में बांधों की दुर्व्यवस्था

*६८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में जो बांध नगवा नाम का पिछले बाढ़ में टूट गया है उसकी मरम्मत बरसात से पूर्व हो जायगी या नहीं? यदि नहीं, तो इसका परिणाम क्या होगा?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न में उल्लिखित बांध से सिंचाई विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

*६९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायंगे कि धानी तथा कानसार को बचाने के लिए उक्त जिले के फरेंदा तहसील में जो बांध कोइलाडाड़ बांध से मिलाकर बनने वाला था उसकी क्या प्रगति है ?

श्री गिरधारीलाल—

कोइलाडाड़ बांध को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

*७०–७१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिए गए।]

धनपतिगंज ब्लाक का नरहिया तालाब

*७२–श्री रामबली मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला सुल्तानपुर के धनपति गंज ब्लाक के अन्दर नरहिया तालाब हजारों बीघा भूमि वर्षा ऋतु में नदी की बाढ़ से प्रति वर्ष जलमग्न हो जाती है ?

*७३–क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उस तालाब की बाढ़ से बहुत से किसानों की कृषि भी नष्ट हो जाया करती है ?

*७४–यदि हां, तो क्या उसमें बांध बंधवा करके उस तालाबी भूमि को कृषि योग्य बनाने की और किसानों की भूमि बचाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्नों में मांगी गई सूचना देने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी। यह सर्वेक्षण वर्षा ऋतु की समाप्ति पर ही किया जा सकता है।

नहर विभाग में एप्रूव्ड ज्योलोजिस्ट की नियुक्ति न हो सकना

*७५—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९६३ में नहर विभाग के लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ स्थान ज्योलोजिस्ट की नियुक्ति के निमित्त दैनिक पत्रों में रिक्त घोषित किए गए थे तथा दिनांक १० जनवरी, १९६४ को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी इलाहाबाद में किया गया था और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन, लखनऊ के कार्यालय में मेडिकल बोर्ड के सम्मुख दिनांक, २ अप्रैल, १९६४ को उपस्थित होना पड़ा था, किन्तु अब तक उनकी नियुक्ति के कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। आयोग द्वारा चुने हुए अभ्यर्थियों में से कुछ के मेडिकल बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने की सूचना अवश्य मिली थी किन्तु इसी बीच भारत सरकार ने अपने अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को मुफ्त सहायता देने की तत्परता प्रकट की, परिणामस्वरूप उक्त नियुक्तियों को अनावश्यक समझकर उन्हें रद्द कर दिया गया।

*७६—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश कब दिए जायगे ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

*७७—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साक्षात्कार आदि में अभ्यर्थियों का व्यय सरकार वापस करने की कृपा करेगी क्योंकि सरकार द्वारा पद समाप्त करने का दायित्व सरकार पर है ? यदि हां, तो धन कब तक वापस किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

मामला विचाराधीन है।

*७८–७९—श्री योगेश्वरप्रसाद खड़ूड़ी (जिला चमोली)—

[१ ले गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ५५–५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में बुकिंग क्लर्कों का बकाया

*८०—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोडवेज डिवीजन में ऐसे कितने बुकिंग क्लर्क हैं जो कन्डक्टरों में से गत ५ वर्षों में नियुक्त किये गये हैं ? उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका बकाया पड़ा हुआ है जब कि उनके वेतन के सम्बन्ध में सरकार का आदेश हो चुका है कि उनको कण्डक्टरी के समय मिलने वाले वेतन से कम बुकिंग क्लर्क के पद का वेतन न दिया जायगा ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और देरी का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१६२ व्यक्ति कन्डक्टर के पद से बुकिंग क्लर्क (जूनियर क्लर्क) आफिस असिस्टेंट ग्रेड २ के पद पर नियुक्त किये गये हैं। इन में से केवल ३१ लोगों के बकाया का भुगतान होना है। इनका भुगतान शीघ्र करने की कोशिश की जा रही है।

भुगतान में विलम्ब का कारण यह है कि उक्त कथित कर्मचारियों के वेतन-निर्धारण में कुछ प्रशासकीय कठिनाई पड़ रही थी। अब इनमें से अधिकतर लोगों का वेतन-निर्धारण किया जा चुका है तथा इनके बकाया का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा तथा बाकी लोगों के वेतन का निर्धारण भी शीघ्र करने का प्रयत्न है।

बांदा जिले में बांधों का निर्माण

*८१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से छोटे बड़े बांध बनाने का विचार सरकार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल—

अनुसुइया बांध तथा फतेहगंज (कुल्हवा) बांध।

*८२—श्री मतोलासिंह—

क्या जिला बांदा के पाठा एरिया के कालिंजर क्षेत्र का सर्वेक्षण करा के बांधे नदी के पार के क्षेत्र को सिंचित कराने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या सरकार का विचार केन-कैनाल से कोई शाखा को बांधे नदी के उस पार ले जाने का है ?

श्री गिरधारीलाल--

कालिंजर के निकटवर्तीय क्षेत्र का सर्वेक्षण सन् १९६१ में किया गया था और मदरार नाला तथा उसके सहायक नालों पर एक बांध बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु कैचमेंट एरिया कम होने के कारण इस के बनाने का विचार छोड़ दिया गया। चूंकि केन नहर में पानी की मात्रा पहले ही से कम है, इस नहर से बधेन नदी के दूसरी ओर सिंचाई की सुविधा के हेतु पानी दिया जाना असम्भव है। अतः केन-कैनाल से किसी शाखा को बधेन नदी के उस पार ले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*८३--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा में ग्राम कालिंजर के सगरा बांध के निर्माण-कार्य को तथा कोल्हुवा बांध का निर्माण-कार्य कब से चालू करने का विचार सरकार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल--

सगरा बांध बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है। कुल्हवा (फतेहगंज) बांध का सर्वेक्षण हो रहा है और इसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लेने का विचार है।

फरही नाले पर पुल निर्माण का स्थगन

*८४--श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़, बलिया जिलों में जाने वाली बेलोली-भीमपुर-रतनपुरा सड़क पर फरही नाले के ऊपर सरकार द्वारा एक पुल के निर्माण का निश्चय १९६२ में हो चुका था और सरकार ने निश्चित आदेश दे दिया था कि १९६३ की वर्षा आरम्भ होने के पहले उस पुल का निर्माण हो जाना चाहिए ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां।

*८५--श्री बृजबिहारी--

यदि हां, तो उस पुल के निर्माण का कार्य क्यों रुका हुआ है, जब कि वर्षा काल आरम्भ होने वाला है और उस नाले के पेटे में बालू, कंकरीट आदि एकत्रित कर दिये गये हैं और नींव भी खोदी जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल--

पुल निर्माण हेतु मार्च, १९६४ में ऐग्रीमेंट (Agreement) किया गया और ठेकेदार ने काम भी प्रारम्भ कर दिया था परन्तु वह कार्य पूरा न कर सका। वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाने के कारण पुल का निर्माण-कार्य स्थगित है।

पीलीभीत जिले में बिजली

*८६--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मझोला सहकारी शुगर फैक्टरी, जिला पीलीभीत को बिजली दी गयी है, तो क्या कारण है कि आसपास के कृषि फार्मों में लगे ट्यूबवेलों को बिजली नहीं दी गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--

मझोला शूगर फैक्टरी को बिजली दी गयी है तथा उक्त फैक्टरी के आसपास के कृषि फार्मों म लगे नलकूपों को भी बिजली दी गयी है।

*८७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पीलीभीत के ग्राम भिखारीपुर तथा न्योरिया को बिजली दे दी गयी है जब कि वहां पर न कोई उद्योग है और न कोई ट्यूबवेल है। तो क्या कारण है कि जिस रास्ते में उक्त बिजली लाइन गयी है उस रास्ते के फार्मों तथा नलकूपों को बिजली नहीं दी गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

भिखारीपुर तथा न्योरिया को बिजली दी गयी है परन्तु न्योरिया-भिखारीपुर लाइन के रास्ते में नलकूपों के लिए कनेक्शन का कोई प्रार्थना-पत्र अभी तक नहीं आया।

*८८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील पीलीभीत में आज जिस लाइन पर बिजली के खम्भे तथा तार लगे हैं तथा बिजली पास होती है उस मार्ग के नलकूपों को बिजली कब तक दे दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

पीलीभीत जिले के हर लाइन पर नलकूप तथा अन्य ग्रामीण उद्योग-धन्धों के लिए बिजली दी जा रही है।

*८९-९०—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[११ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

गोरखपुर-गोला बाजार मार्ग पर बस सर्विस की मांग

*९१—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की गोला-बरहलगंज रूट का ६८-सी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन हुआ है कि नहीं ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। क्योंकि अभी तक अन्य महत्वपूर्ण रूट लिये गये हैं।

*९२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर-गोला-बाजार रूट के सम्बन्ध में किसी अदालत में मुकदमा दायर हुआ है ? यदि हां, तो यह मुकदमा कब दायर हुआ और उसमें अदालत के विचाराधीन कौन-कौन-सी बातें हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

इस मार्ग के एक आपरेटर, श्री काशी प्रसाद ने इलाहबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। यह रिट उनके पक्ष में निर्णय हुई। जिसके विरुद्ध सरकार ने स्पेशल अपील की। जो कि सरकार के पक्ष में तय हुई। इस अपील के निर्णय के खिलाफ श्री काशी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है, जो कि अभी विचाराधीन है।

सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख यह प्रश्न विचाराधीन है कि देवरिया-लार मार्ग के विस्थापित आपरेटरों को गोरखपुर-गोला मार्ग पर परमिट दिया गया है वह वैध है या नहीं।

*९३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार ने अपने कानून विभाग से राय ले ली है कि जब तक इस मुकदमें का अदालत में फैसला न हो जाय तब तक सरकार अपनी राजकीय बसें नहीं चला सकती या सरकार पर राजकीय बस न चलाने की कोई निषेधाज्ञा अदालत द्वारा जारी हुई है? यदि नहीं, तो अब तक बस न चलने का क्या कारण है और क्या परिवहन मन्त्री कृपया इस रूट पर अतिशीघ्र राजकीय बसें चलाने का आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त मार्ग की योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के दौरान में दिनांक २८ मई, १९६२ को संयुक्त विधि परामर्शी ने यह निर्णय दिया है कि जब तक काशीप्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार अपील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय न लिये जाने तक इन आपत्तियों पर विचार व निर्णय स्थगित रक्खा जाय। इस कारण से रोडवेज की बसें इस मार्ग पर न चलायी जा सकीं।

फैजाबाद खण्ड में अस्थायी नलकूप चालक

*९४—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थायी नलकूप खण्ड, फैजाबाद में कितने नलकूप चालकों की पोस्ट स्थायी हैं, उनमें कितने नलकूप चालक स्थायी किये गये हैं? यदि नहीं, तो वे कब तक स्थायी किये जायेंगे?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूप खण्ड, फैजाबाद में नलकूप चालकों के कुल स्थायी स्थान १६१ हैं जिनमें १४६ नलकूप चालकों को स्थायी किया जा चुका है और १५ स्थान अभी रिक्त हैं। जो विचाराधीन हैं और लगभग तीन माह में निर्णित कर दिये जायेंगे।

*९५-९६—श्री गयाप्रसाद—

[११ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

देशराज को बिजली

*९७—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देशराज सन आफ मोहन लाल, देहरादून के नाम से सरकार ने जो १५ एच० पी० का कनेक्शन मंजूर किया था उसको बिजली कम्पनी, सहारनपुर के ओवरसियर तथा अन्य अधिकारियों की धांधली के कारण बिजली नहीं दी गई? यदि यह सही है। तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। श्री देशराज को ५ जून, १९६४ को बिजली दी जा चुकी है।

*९८-९९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[११ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में गांव पटाई जांच समिति

*१००—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर ने कोई जांच कमेटी गांव पटाई के सम्बन्ध में बैठाई है? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन से व्यक्ति रखे गये हैं?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां। इस कमेटी के एकमात्र सदस्य श्री मदन गोपाल, अधिशासी अभियन्ता हैं।

*१०१—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच कमेटी ने अब तक जो जांच की है, उसमें अब तक कितने रुपये का गलत भुगतान का मामला प्रकाश में आया है?

श्री गिरधारीलाल—

अब तक की प्रारम्भिक जांच में ६१, १६१ रु० के गलत भुगतान का मामला प्रकाश में आया है।

*१०२—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच कमेटी बिठाने के पहले अमवाबाद में अधीक्षण अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया था? यदि हां, तो उस गम्भीर मामले को दृष्टि में रख कर क्या सरकार उक्त अधीक्षण अभियन्ता का पुनः स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ताकि गांव पटाई के सम्बन्ध में पूरी जांच हो सके?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां। किन्तु बाद में यह स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया था। अब लघु सिंचाई योजना के कार्य के हित में पुनः उनका स्थानान्तरण कृषि उत्पादन विभाग में कर दिया गया है।

सिंचाई वर्कशाप सर्किल, कानपुर के अस्थायी लिपिक

*१०३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्त मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी का १९६४-६५ के बजट अनुमानों पर भाषण नामक पुस्तिका के पृष्ठ १५ पर बजट वर्ष में ९,७७६ अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने की जो घोषणा की गई है उसमें सिंचाई वर्कशाप सर्किल, कानपुर तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले अस्थायी लिपिक भी सम्मिलित हैं? यदि नहीं, तो १५ वर्षों से भी अधिक अवधि के इन लिपिकों को कब स्थायी किया जायगा?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। जैसे-जैसे लिपिकों के अस्थायी पद स्थायी किये जावेंगे उन पदों पर अस्थायी लिपिक भी स्थायी किये जावेंगे, जो इस योग्य समझे जावेंगे।

अतारांकित प्रश्न

कोटद्वारा-जोशीमठ बस सर्विस

१—श्री कल्पनाथसिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है जिस पर प्राइवेट बसें चलायी जा रही हैं और उसकी लम्बाई क्या है तथा प्राइवेट बस ओनर्स के नाम क्या हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा मार्ग कोटद्वारा-जोशीमठ वाया श्रीनगर है जिसकी लम्बाई १७९ मील है परन्तु इसमें कोटद्वारा-श्रीनगर नोटीफाइड मार्ग शामिल है। इस मार्ग पर २१८ प्राइवेट बसें चलती हैं जिनकी सूची माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

बिजनौर जिले में सिंचाई के लिए डैम

२—श्री श्रीराम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर में बरसाती पानी रोक कर सिंचाई करने के लिये डैम गत वर्ष बन कर तैयार हो गया है और क्या उससे नहर भी निकाल ली गयी है ? यदि हां, तो गत वर्ष इस नहर में पानी एकत्र हुआ या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल —

प्रश्नकर्ता का अभिप्राय कल्लूवाला बंधी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जिला बिजनौर में बने डैम से प्रतीत होता है। इस योजना के अन्तर्गत एक छोटा डैम बन गया है और इसमें एकत्र हुये पानी से सिंचाई करने के लिये कुछ नहरों का निर्माण भी किया गया है।

गत वर्ष वर्षा के अभाव से इस डैम में बहुत थोड़ा पानी एकत्र हो सका, जो नहरों को चलाने के लिये अपर्याप्त था।

३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[२रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वाराणसी जिले में सिंचाई की दर

४—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सिंचाई के दो रेट अलग-अलग हैं, एक बन्धियों का तथा दूसरा बड़े-बड़े जलाशयों का ? यदि हां, तो दोनों की अलग-अलग सूची क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६८ पर)

५—श्री रामलखन वकील—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि चकिया तहसील, जिला वाराणसी स्थित गणेशपुर बन्धों से जो सिंचाई होती है उसको रेट वसूली बन्धी की न होकर दूसरा रेट वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल —

गणेशपुर बांध से जो सिंचाई होती है उस पर शेड्यूल २ के अनुसार रेट लगता है क्योंकि यह बन्धी नहीं बल्कि एक बांध है।

परिवहन विभाग, वाराणसी क्षेत्र में नियुक्तियां

६—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग के वाराणसी रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुयी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस उपक्षेत्र में सन् १९६० से १५ अप्रैल, १९६४ तक ५६८ नियुक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की गई हैं।

नैपाल बांध

७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैपाल बांध गन्डक नहर का निर्माण आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से और उसका निर्माण कब समाप्त होगा और क्या खर्च पड़ेगा ? क्या इस साल के वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व इस बांध के निर्माण करा देने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल —

नैपाल बांध के कुछ हिस्सों में निर्माण-कार्य १५ मार्च, १९६४ से प्रारम्भ हो गया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि पूरा निर्माण-कार्य मार्च, १९६५ तक समाप्त हो जायेगा। इस बांध के निर्माण में लगभग ५० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

बांदा जिले में नहरों व नालों की सफाई

८—श्री मतोलासिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के ग्राम गिरवर, तहसील नरैनी की बांदा ब्रान्च में गिरवा में पानी निकालने का ड्रेन जिसपर पक्के वर्क्स बने हैं, उस ड्रेन की सफाई कब से नहीं हुई और क्या सरकार बरसात से पहले सफाई कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

गिरवा नाले की सफाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और इसके शीघ्र ही समाप्त होने की आशा है। इससे पहले इस नाले की सफाई के बारे में कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

९—श्री मतोलासिंह —

ग्राम अनरी में अनरी ब्रांच के किनारे जो ड्रेन पानी निकालने की बनी है उसकी सफाई ड्रेन से टेल तक कब से नहीं हुई और नहर विभाग का जो पुल सड़क पर उसी ड्रेन या गुठिल्ल के पुरवा में बना है, उसकी मरम्मत कब से नहीं हुई और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम अतर्रा में अतरी ब्रांच के किनारे-किनारे बने हुये नाले की सफाई हेड से टेल तक अभी पिछले वर्ष १९६३-६४ में कराई गई थी। इस वर्ष भी आवश्यकतानुसार सफाई करा दी गई है। गुठल पुरवा के पास बनाये गये पुल की मरम्मत की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि पुल की दशा संतोषजनक है।

१०—श्री मतोलासिंह—

क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रजबहा अलिहा (बांदा ब्रांच) में जो ड्रेन ग्राम छिबांव से प्रारम्भ होकर मकरी के तालाब में छोड़ दी गई है वह पानी क्या वहां जाकर मकरी व नाई ग्राम में भरता है जिससे फसल को हानि होती है ? यदि हां, तो सरकार ड्रेन को बढ़ाकर हस्तम के नाले में डाले, इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

मकरी तथा नाई ग्रामों में पानी के जमा हो जाने की कोई समस्या नहीं है और न अब तक फसल की हानि की ही कोई रिपोर्ट मिली है। अतः छिवांब नाले को हस्तम ग्राम तक बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्राकृतिक नाले का ढाल पर्याप्त है।

नहर गंग शाख, इटावा पर पुलिया की आवश्यकता

११--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत नहर गंग शाख, इटावा पर दिवियापुर से १ मील पूर्व ग्राम नन्दपुर के सामने एक कदम पुलिया बनाना स्वीकार हुई थी ? यदि हां, तो अब तक पुलिया बनकर तैयार क्यों नहीं हो सकी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं। ऐसी किसी पुलिया का बनना स्वीकार नहीं हुआ था। अतः उसके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

१२--श्री रतीपाल--

क्या यह सही है कि किसी पुलिया के सम्बन्ध में दिनांक ६ मार्च, १९६२ ई० को वहां के भूतपूर्व एम० एल० ए०, श्री भजनलाल ने अपने कार्यकाल में एक प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री को दिया था। यदि हां, तो अब तक कार्यवाही क्यों रुकी पड़ी है ?

श्री गिरधारीलाल--

विभाग में उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

गिरोरा माइनर नहर का सिंचित क्षेत्र तथा बहेड़ी तहसील में गूलों की सफाई

१३--श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री १९६४ के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६३ और जनवरी, १९६४ में गिरोरा माइनर (गंगा नहर मेरठ डिवीजन) की टेल पर ग्राम चठेरा, ग्राम पाली और ग्राम शकरपुर में रबी की फसल की इस माइनर द्वारा हर ग्राम में कितने-कितने एकड़ सिंचाई हुई और क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों में इस माइनर के कमाण्ड एरिया में कितना-कितना रबी की फसल का क्षेत्रफल था ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६९ पर)

१४--श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एक बड़ी गूल जोकि मोहलिया माइनर (रूहेलखण्ड डिवीजन, बरेली), में से निकल कर ग्राम मोहलिया, ग्राम मलपुर और ग्राम उतरसिया (तहसील बहेड़ी, जिला बरेली) के क्षेत्रफल को सिंचाई किया करती थी, वह इस इलाके के गैर-आबाद हो जाने के बाद खत्म हो गई थी ? क्या मन्त्री जी अब जब कि वह इलाका आबाद हो गया है और उसकी जरूरत महसूस की जा रही है, उसको दोबारा ठीक करवाने पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

यह बड़ी गूल, मोहलिया माइनर से निकलकर, ग्राम महोलिया, मलपुर और उत्तरसिया (तहसील बहेड़ी, जिला बरेली) के क्षेत्रों की सिंचाई करती थी। इस इलाके में काश्त कम हो जाने से तथा काश्तकारों द्वारा ध्यान न देने से यह करीब-करीब पट-सी गयी है। अब इस

इलाके में काश्त फिर अधिक होने लगी है। अतः इस गूल को काश्तकारों को आवश्यकतानुसार अच्छी सिंचाई की सुविधा के लिए साफ करते रहना चाहिए, जैसा कि हर गूल की सफाई व उसकी देख-रेख काश्तकार करते हैं।

सरकार द्वारा गूलों की सफाई व देखरेख का कार्य नहीं किया जाता।

बांसगांव तहसील में भूमि कटाव

१५—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष घाघरा और राप्ती नदी से गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में कौन-कौन से गांवों का रकबा कितना-कितना कटा है, और उसका प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ा है?

श्री गिरधारीलाल—

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के जिस-जिस गांव का जितना-जितना रकबा कटा वह संलग्न सूची में दिया हुआ है। इसका प्रभाव ६५७ व्यक्तियों पर पड़ा।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७० पर)

१६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम पटना, पोस्ट पटना, जिला गोरखपुर, तहसील बांसगांव में तथा कोलखास में कितनी भूमि है और उसमें से कितनी कटी है?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम कोलखास व पटना का कुल क्षेत्रफल क्रमशः ५५३.०० एकड़ तथा ६५१.०० एकड़ है और उसमें से क्रमशः ४२९.०० एकड़ तथा ३.०० एकड़ भूमि कटी।

१७-१८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

[६ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

परिवहन क्षेत्र, गोरखपुर में भ्रष्टाचार के मामले

१९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या ऐसा आदेश जनरल मैनेजर, गोरखपुर ने दिया है कि गोरखपुर रीजन के वर्डघाट बस-स्टेशन पर कर्मचारियों के विश्राम-गृह का इस्तेमाल अब कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जायगा? यदि हां, तो यह आदेश क्यों दिया गया है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

२०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में पिछले तीन माह के अन्दर भ्रष्टाचार तथा सरकारी पैसे के दुरुपयोग आदि की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इसमें किस-किस प्रकार के मामले पकड़ गए हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

इस रीजन में अप्रैल, मई, तथा जून, सन् १९६४ में ऐसी ६१ शिकायतें प्राप्त हुईं। इन मामलों में कुल ९३ कर्मचारी सम्बन्धित थे। इनमें से ८१ के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही चल रही है। ७ व्यक्ति अब नौकरी में नहीं हैं, और ५ को अन्य रूप से दण्डित किया गया है।

इन मामलों में बिना टिकट यात्री व सामान ले जाने, कागजात में जालसाजी करके पैसा हड़पने, यात्रियों से अधिक पैसा लेकर टिकट देने, और सरकार पैसे को न जमा करके उसका दुरुपयोग करने, इत्यादि के मामले हैं।

बर्डघाट बस डिपो पर ड्राइवर

२१--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन के बर्डघाट डिपो पर इस समय कुल कितने ड्राइवर हैं और उनमें से कितने स्पेयर ड्यूटी में हैं और कितने रेगुलर में हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

कुल ३४ ड्राइवर हैं। १ स्पेयर ड्यूटी में, ५ रिलीविंग ड्यूटी में और २८ रेगुलर ड्यूटी में हैं।

२२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जो ड्राइवर इस समय स्पेयर ड्यूटी पर हैं उनकी और जो रेगुलर ड्यूटी में हैं उनकी सीनियारिटी लिस्ट किस प्रकार है और जो सीनियारिटी लिस्ट है क्या उसी के आधार पर ड्यूटी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन--

सीनियारिटी लिस्ट सूची 'क' में है। सीनियारिटी लिस्ट के आधार पर ड्यूटी नहीं दी जाती है परन्तु आवश्यकतानुसार निश्चित की जाती है। यह ड्यूटी समय-समय पर बदली भी जाती है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७१-७२ पर)

तरैना नदी में गिराई जाने वाली नाली

२३--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में नरेंताल से पोखरी ताल होकर कोई नाली तरैना नदी में गिराई गई है? यदि हां, तो क्या इस नाली की गहराई इतनी कम है कि इससे पूरा पानी नहीं निकल पाता है और किसानों का नुकसान ज्यों का त्यों बना रहता है?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। नरें ताल से लेकर पोखरी ताल तक एक नाला है जो पोखरी ताल के पास तरैना नदी में गिरने वाले एक प्राकृतिक नाले से मिल जाता है। इस नाले को इतना गहरा बनाया गया है कि ताल का सब पानी बाहर न निकल सके ताकि बचे हुए पानी को ग्रामीणों के जानवरों के पीने तथा सिंचाई इत्यादि के लिए उपयोग में लाया जा सके।

२४--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि इस नाली का पूरा सर्वेक्षण करने पर और उसे गहरा और चौड़ा करने पर तरैना नदी तक कुल कितनी लम्बाई होगी और कुल कितना रुपया व्यय होगा?

श्री गिरधारीलाल--

इस उद्देश्य से कि वर्तमान नाली ठीक तरह से काम करे इस नाली को बढ़ाकर तरैना नदी में गिराना पड़ेगा। जिसकी कुल लम्बाई (वर्तमान नाली को मिलाकर) ४ मील ५ फर्लांग होगी और उक्त विस्तार पर लगभग १०,००० रु० व्यय होगा।

२५--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस नाली के रख रखाव में प्रति वर्ष कितना रुपया व्यय किया जा रहा है और किस माध्यम से ? क्या सरकार यह रुपया गांव सभा के माध्यम से खर्च करके काम कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

इस नाली के रख-रखाव पर विभाग द्वारा औसतन ६७७ रुपया प्रतिवर्ष व्यय किया जा रहा है। रख-रखाव में लगने वाले धन को गांव सभा के माध्यम से व्यय करना व्यवहार्य नहीं है। यदि गांव सभा इस नाली का रख-रखाव करना चाहे, तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

२६-२७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[२९ जुलाई, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए।]

बुलन्दशहर-उमापुर बस सर्विस

२८--श्री मैनेजरसिंह, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४० या इसके आस-पास के वर्षों में बुलन्दशहर, खानपुर, उमरपुर, भड़कऊ, रूट (जिला बुलन्दशहर) में कितने बसेज को परमिट मिले हुए थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--

१९४० या उसके आस पास के वर्षों में ऐसा कोई वर्गीकृत (classified) मार्ग नहीं था। अतः उस पर परमिट देने का प्रश्न नहीं उठता।

२९--श्री मैनेजरसिंह, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रूट को छोटा करके केवल उमरपुर तक ही क्यों कर दिया गया है और अब जो बसें चलती हैं वे केवल बुलन्दशहर से अमरपुर तक ही चलती हैं जिसके कारण जनता को बहुत असुविधा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

१९५२ में बुलन्दशहर, लखावटी, पाली, खानपुर, भड़कऊ, स्याना, बहादुरगढ़ मार्ग के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हुआ कि अमरपुर के आगे उक्त सड़क मोटर चलाने के योग्य नहीं थी अतः बुलन्दशहर से उमरपुर तक ही के लिए आर० टी० ए०, मेरठ ने बसें चलाने के परमिट स्वीकृत किए।

३०--श्री मैनेजरसिंह, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार बुलन्दशहर, खानपुर, अमरपुर रूट को चन्धियाने तक बढ़ाने की कृपा करेगी जिससे कि जनता को यातायात में जो तकलीफ है वह दूर हो सके ?

श्री मुजफ्फर हसन--

यह विषय आर० टी० ए० के अधिकार क्षेत्र में है जो क्वासी जूडिशियल बाडी (Quasi-Judicial Body) है।

३१-३२--श्री कल्पनार्थसिंह--

[५ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए।]

गोरखपुर जिले में श्रीनगर ताल से सिंचाई

३३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन सालों से रबी तथा खरीफ की कितने एकड़ की सिंचाई गोरखपुर जिले के श्रीनगर ताल से निकली नहरों से हुई है तथा सरकार को कितने धन की प्राप्ति राजस्व के रूप में उपरोक्त सालों में अलग-अलग हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--१३६९ से १३७१ फसली में खरीफ में १९४६ एकड़ वरबी में ३,९६६ एकड़ की सींच हुई।

द्वितीय भाग--इस ताल से निकली सभी नहरें जमींदारी नहरें हैं, अतः रबी १३७१ फसली के पूर्व सिंचाई-कर नहीं लगाया गया था। १३७१ फसली से इन नहरों पर सिंचाई-कर लगाया गया है और राजस्व के रूप में १,६८६ रु० ५५ पैसे हैं।

३४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि अइन्जर ताल से जो नहर निकाल कर श्रीनगर ताल में मिलाई गई है उससे किसानों के कितने एकड़ की फसल बर्बाद होती है तथा उसको अधिक उपयोगी बनाने हेतु अभी तक कौन-कौन से कदम उठाए गए ?

श्री गिरधारीलाल--

एक कट (cut) दही नदी से अइन्जर ताल ग्राम के पास से श्रीनगर ताल तक बनाई गयी है। अभी तक फसल बर्बाद होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बांसगांव तहसील के बाढ़ क्षेत्र को बिजली

३५--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में गृह उद्योग धन्धों के विकास के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के एक हजार आबादी वाले या प्रमुख गांवों में बिजली देने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

जिला गोरखपुर में बांसगांव तहसील के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों तथा दूसरे प्रमुख जगहों के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। जो जगहें विद्युतीकरण के लिये उपयुक्त पाई जायेंगी उनका विद्युतीकरण उचित समय पर किया जायगा।

नीम नदी गहरी करने की प्रार्थना

३६—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री दिनांक १० मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में नीम नदी को गहरा किए जाने की योजना के सम्बन्ध में अभी कुछ क्यों नहीं कहा जा सकता जब कि इस नदी से वर्षा ऋतु में अधिक हानि पहुंचती है और इसका गहरा किया जाना शीघ्र से शीघ्र अति आवश्यक है ?

श्री गिरधारीलाल—

धन उपलब्ध न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि वास्तव में नीम नदी कब गहरी की जायगी, किन्तु यह आशा की जाती है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में यह कार्य किया जा सकेगा।

भदोही बस-स्टेशन कार्यालय

३७—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद रीजन के भदोही बस-स्टेशन का कार्यालय ११ बजे दिन से ३ बजे शाम तक बन्द रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२१ जून, १९६४ से पूर्व कुछ समय तक बुकिंग क्लर्क की अनुपस्थिति में कन्डक्टर द्वारा बुकिंग हुआ, परन्तु अब नियमित रूप से कार्य हो रहा है।

३८—श्री रक्षपालसिंह—

[११ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

गिरौरा माइनर तथा आलमपुर जरिया ग्राम को नहरी पानी न मिलना

३९—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री दिनांक १० मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि २५ या ३० वर्ष पहले का कोई रिकार्ड क्यों नहीं है कि जिस से यह पता लगाया जा सके कि ग्राम जरियां आलमपुर में नम्बर १५ का एक कुलाबा लगा हुआ था और वह किन-किन कारणों से खारिज हुआ था ? क्या सरकार अपने किसी अभियन्ता द्वारा इस विषय में स्वयं ग्राम जरिया आलमपुर के प्रधान ग्राम सभा और दूसरे व्यक्तियों से मालूमात करायेगी और उसी स्थान पर एक कुलाबा दुबारा लगवाने पर ध्यान देगी, जिससे कि वह क्षेत्रफल जो कि गिरौरा माइनर में कुलाबा नम्बर १५ पर था, वह नहरी हो सके ?

श्री गिरधारीलाल—

१० मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में जो यह कहा गया था "कि इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं है" से यह मतलब नहीं था कि गिरौरा माइनर के सम्बन्ध में पुराने कागजात ही उपलब्ध नहीं हैं परन्तु यह मतलब था कि जो कागजात देखे गये, और ऐसे चालीस वर्ष पुराने कागजात देख लिये गये हैं, उनमें से इस कुलाबा के बारे में कोई रिकार्ड यानी उल्लेख नहीं मिला। यह माइनर सन् १८९४ से भी पहले की है।

[श्री गिरधारीलाल]

ग्राम आलमपुर जरिया के ग्राम प्रधान तथा दूसरे बुजुर्गों से सम्पर्क स्थापित किया गया और यह मालूम हुआ कि वहां पर एक कुलाबा नं० १५ करीब साठ साल पहले करीब दो मील पर था, परन्तु वह यह बतलाने में असमर्थ रहे कि यह कुलाबा क्यों हटाया गया।

अधिशासी अभियन्ता किसानों की राय ले रहे हैं और इस रकबे का निरीक्षण यह देखने के लिए कर रहे हैं कि वर्तमान कुलाबा नं० १२ को दो हिस्सों में बाटने पर अच्छी प्रोग्रेस (Progress) देगा या नहीं।

४०—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री दिनांक १० मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि गिरौरा माइनर (गंगा नहर, मेरठ डिवीजन) कौन से वर्ष बनायी गयी और इसके हेड पर जो टक्कर बनी हुई है वह कौन से सन् में बनायी गयी है?

श्री गिरधारीलाल—

गिरौरा माइनर के निर्माण की वास्तविक तिथि ज्ञात नहीं है। पुराने से पुराना Long Section सन् १८९४ ई० का है जिससे ज्ञात होता है कि यह माइनर इस सन् के पहले की बनी हुई है।

गिरौरा माइनर का नया मोहन्ड, सन् १९१३–१४ के लगभग बना था और इसमें क्रेस्ट बनायी गयी थी जो बाद में पानी के हिसाब से चलाने के लिए ९ इंच और ऊंची कर दी गयी थी।

४१—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि यदि टक्कर गिरौरा माइनर के हेड पर पानी के बहाव को ठीक रखने के लिए और निर्धारित क्षमता से ज्यादा पानी जाने से रोकने के लिए बनायी गयी है तो क्या टक्कर के बनने से पहले इस माइनर में पानी का बहाव ठीक नहीं रहता था और क्या निर्धारित क्षमता से ज्यादा पानी चला करता था? क्या सरकार को मालूम है कि इस टक्कर से इस माइनर में पानी की अत्यन्त कमी हो गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार करती है?

श्री गिरधारीलाल—

रजबहा लोअर परिक्षतगढ़ की तली जिसमें से माइनर गिरौरा निकलती है रेत जमा होने के कारण लगातार ऊंची उठती चली जा रही है। फलस्वरूप मूल रजबहा परिक्षतगढ़ की पूरी सप्लाई सतह (Full Supply Level) ऊपर उठ गयी है जिसके कारण गिरौरा में बहुत ज्यादा पानी पहुंचता था। इसको रोकने के लिए क्रेस्ट ऊंची की गयी थी और अब गिरौरा माइनर अपना निर्धारित पानी ले रही है।

इस माइनर के अन्त पर कोई पानी की कमी नहीं रही। इस माइनर की सिंचाई के आंकड़े प्रस्तावित सिंचाई के आंकड़ों से कहीं अधिक हैं, चूंकि यह माइनर अच्छी प्रकार काम कर रही है इसलिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

४२–४४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[११ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

४५–४७—श्री उग्रसेन—

[११ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

गोरखपुर तथा देवरिया में प्रिवेंटिव मेन्टीनेंस डिपो वर्कशाप की जांच

४८—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९६४ के तृतीय सप्ताह में स्पेयर पार्टस् कन्ट्रोलर, गोरखपुर गये थे? यदि हां, तो उन्होंने किन-किन पी० एम० डी० वर्कशापों की जांच की और वहां पर कौन-कौन-सी खामियां पायीं? क्या मंत्री जी उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, उन्होंने गोरखपुर तथा देवरिया प्रिवेन्टिव मेंटिनेंस डिपो वर्कशाप की जांच की। जो कमियां उन्होंने पायीं, उनका ब्योरा उन की संलग्न जांच†रिपोर्ट से ज्ञात हो जावेगा।

प्रदेश की गम्भीर खाद्य स्थिति पर विवाद करने एवं मन्त्रि-परिषद् के त्याग-पत्र की मांग

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता था कि जैसी प्रान्त की स्थिति है, भुखमरी की स्थिति, और जो संकट दिन प्रति दिन बढ़ रहा है उसके कारण जो लोगों में रोष और चिन्ता की भावना बढ़ती जा रही है। उसे देखते हुए और हम लोग जिस-जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं वहां के निवासियों को जो कष्ट है उसे देखते हुए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर विचार करने का आप हमें अवसर प्रदान करें। कल भी इसके लिए कुछ लोग उत्सुक थे। हम लोग रोज ही विधायन कार्य करते हैं, लेकिन आज जैसा वातावरण प्रान्त में है उसे देखते हुए आवश्यक है कि हम अपने विचार आप तक पहुंचायें और प्रत्येक सदस्य को अपनी बात पूरी तरह कहने का मौका मिले। आज जन-जन की भावना है कि सरकार की नीति खाद्य समस्या के बारे में विफल हो चुकी है और इसलिए उसे इस्तीफा देना चाहिए। सरकार इस्तीफा दे कर प्रायश्चित करे और फिर कोई रास्ता निकाला जाय ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप अन्य दल के नेताओं को सुनें। शायद सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि पूरे प्रान्त की भावना यह है कि सरकार, मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम इसी बात को रखना चाहते हैं। इस के लिए आप हमें मौका दें और जो संकट आया है उसके लिए कोई रास्ता निकालें। प्रान्त में अखबारों से, विभिन्न दलों से यही एक बात आ रही है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और कोई काम शुरू करने से पहले हम इसी सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहते हैं। आप से प्रार्थना है कि आप हमें इसके लिए मौका दें। जो वर्तमान परिस्थिति है उस के कारण कोई काम होना मुश्किल है, इसलिए आप हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

इस आदरणीय सदन का प्रत्येक सदस्य अनुभव करता है कि हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन पर विचार करना अनिवार्य है। तो प्रश्नों के बाद हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

सरकार को आज अधिकार नहीं है कि वह इन कुर्सियों पर बैठे। उसको इस्तीफा देना चाहिए।

---

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो आप कहना चाहते थे उसे हमने सुन लिया। हमको प्रश्न करते करते १३ साल हो गये। अविश्वास के प्रस्ताव से भी कोई समस्या हल नहीं होती। परिणाम में हमें शून्य ही मिला है। जिस तरह की यह सरकार है और जिस रास्ते पर वह चलना चाहती है वह खराब है और आज हालत यह है कि रास्ते में चलना मुश्किल हो गया है, हर एक आदमी अपना दुःख सुनाना चाहता है। यह ऐसी समस्या है जिसका हल करने में सरकार असमर्थ हुई है। आज अन्न की, रोजी की, खाने की, पहिनने की, शिक्षा की समस्याओं को सरकार हल नहीं कर सकी, इसलिए अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है अगर सरकार में इतनी संजीदगी है, हया नहीं है, कि वह अपने आप रिजाइन कर सके। जनता की तरफ से प्रबल मांग है कि सब से पहला काम यह होना चाहिए कि वह रिजाइन करे।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर रहा था और मैं स्वयं भी कह रहा हूं कि उस पर विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और जो कुछ जनता के प्रतिनिधि यहां कहना चाहते हैं वह कहने का उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुछ नियम हैं जिनके अन्तर्गत हम बहस कर सकते हैं। प्रदर्शन से न आप को लाभ होगा, न जनता को लाभ होगा। बहस आज होगी, मेरे पास अनेक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं, नियम ५३ का भी एक आया है।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

खाद्य समस्या के ऊपर बहस तो होगी, लेकिन हम जिन दुखे हुए दिलों की बात लेकर आये हैं और जिस जनता की आग को सुन कर आये हैं हमारी ख्वाहिश और दरख्वास्त यह है कि हम लोगों को आप इस कार्यवाही के शुरू होने से पहले मौका दें कि हम दुखे हुए दिलों की आवाज को सदन के सामने पेश कर सकें। हम एक एक इलाके में दौरा कर के आये हैं और यह हालत है कि इस सरकार ने विश्वास खो दिया है जनता का। हम एक ही मांग पेश करना चाहते हैं इस हाउस में कि यह सरकार तुरन्त इस्तीफा दे, एक नयी सरकार बने और वह सरकार इस काबिल हो कि जो जनता को भूखा मार रहे हैं, उन को खत्म करे और जनता को सस्ता अनाज दिया जा सके। इसलिए हमारी आवाज को सुनने की आज जरूरत है और आज यह मसला तुरन्त तय हो।

श्री अध्यक्ष—

सरकार इस्तीफा दे, यह आप की मांग है। आप के प्रस्ताव भी आ चुके हैं। आप अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं। इस्तीफा देने का एक तरीका भी है।

श्री जेड० ए० अहमद—

सरकार खुद इस्तीफा दे बिना डिस्कशन के।

श्री अध्यक्ष—

मैं सिर्फ यह कह रहा था कि इस्तीफे की जो आप मांग कर रहे हैं उस का एक तरीका है। अगर आप सब नियमों को उड़ा देना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता। जो नियम हैं उनके अधीन मैं मजबूर हूं। मेरा निवेदन है कि नियमों का पालन किया जाय।

(अत्यन्त शोर के बीच)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रदर्शन से पेट नहीं भरेगा। (श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर)। माननीय दीपनारायण सिंह जी, आप कृपया बैठ जायं। अब माननीय काशीनाथ मिश्र बोलेंगे....

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्त रहें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा कि प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, मगर हम लोग जनता के नुमाइन्दे हैं, अपनी भावनाओं को हमें व्यक्त करना है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, मगर उस के लिए नियम बने हुए हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं खुद चाहता हूं कि नियमों का पालन हो। इस सदन के दो पक्ष हैं--एक विरोधी पक्ष और दूसरा सरकारी पक्ष। तो जब सदन का एक पक्ष एक राय से यह कह रहा हो कि यह सरकार इस्तीफा दे, तो आप बतायें, कोई हाउस आफ कामन्स की व्यवस्था दे कि उस सूरत में यह सदन कैसे चल सकता है। सरकार को ऐसी हालत में इस्तीफा दे देना चाहिए। विधान सभा का काम चल नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आप सरकार से इस्तीफा मांगते हैं तो उसके लिए एक तरीका बना हुआ है और उसके लिए आप अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। उस प्रस्ताव को रखने के लिए मैं तैयार हूं। यही तो आप भी कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं यह नहीं कह रहा हूं। आप ने तो अविश्वास की बात कही। जहां तक उस प्रस्ताव की बात है, हम जानते हैं कि वह तो गिर जायेगा, क्योंकि हम यहां बहुमत में हैं नहीं, लेकिन प्रदेश की आज ऐसी हालत है कि अगर आज वोट करा लिये जायं, तो यह सरकार निश्चित ही हार कर इधर आ जायेगी और हम उधर चले जायेंगे। तो जनता की जो भावनाएं हैं उन को तो व्यक्त करने का आप हमें अवसर दें और उसके लिए यह जरूरी है कि हम यह अनुरोध करें कि यह सरकार तुरन्त इस्तीफा दे। आप स्वयं अपनी व्यवस्था दें कि ऐसी सूरत में अध्यक्ष क्या करेगा जब सारा अपोजीशन यह कहता हो कि यह सरकार नहीं चलेगी।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

इस आदरणीय सदन के उन सभी माननीय सदस्यों की इस मांग के साथ कि यह सरकार तुरन्त इस्तीफा दे, मैं भी यह मांग करता हूं कि यह सरकार तुरन्त इस्तीफा दे। इसी सदन में आज से ४ महीने पूर्व इस बात की मांग की गयी थी कि खाद्य की समस्या आगे आने वाले महीनों में बहुत खराब और नाजुक हो जायगी। उस वक्त इस सदन के तमाम सदस्यों ने इस बात को बआवाज बुलन्द कहा था कि आने वाली पैदावार बहुत ही खराब है। उस वक्त सरकारी पक्ष के लोगों ने भी इस बात की जोरदार दरख्वास्त की थी कि फसलें बहुत खराब हैं और आने वाले जमाने में, २-३ महीने में, इस प्रदेश की हालत बहुत खराब हो जायगी। यह कहा था कि सरकार आज से ही इस बात की कोशिश करे कि जो भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है उसकी रोक-थाम हो सके और इस मुसीबत को हल किया जा सके। मगर हमको अफसोस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान सहाय]

इस बात का है कि उस वक्त बड़ी बुलन्द आवाज में सरकार की ओर से मिनिस्टरों ने कहा कि हम ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने देंगे, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी ही नहीं, सरकारी पक्ष के लोग भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस समय हालत बहुत नाजुक है। मैं इस बात की मांग व आवाज बुलन्द करता हूं कि यह सरकार इस काबिल नहीं है कि जनता का विश्वास इसे प्राप्त हो। इसलिए यह इस्तीफा दे।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैंने सर्वप्रथम २२ जुलाई को ही, जब मुख्य मन्त्री जी ने विरोधी दलों के नेताओं को बुलाया था, इस्तीफा की मांग की थी। मैंने यह इसलिए नहीं की थी कि हम विरोध-पक्ष वाले इस स्थिति में हैं कि अपनी सरकार बना सकें, लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस सरकार से सभी का विश्वास हट गया है। आज जनता इस सरकार की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज इस प्रदेश का प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह जनता का विश्वास खो चुका है और जनता कोई भी बात इनकी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन स्थापित हो। विरोध-पक्ष के सभी नेताओं ने मुख्य मन्त्री जी की खाद्य की कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि इन के यहां बैठे रहने का क्या नैतिक आधार है। यह सरकार उत्पादन बढ़ाने में और हर कदम पर असफल रही है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से त्यागपत्र की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि विभिन्न विरोधी पार्टियों के नेताओं को सुना जाय। मुझे जहां तक सूचना है माननीय रामसुन्दर जी आप की ओर से बोल चुके हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह--

आप ने स्वयं कहा कि हम लोग सभी खाद्य स्थिति से चिन्तित हैं। हम लोग भी चाहते थे कि जनता को कुछ न कुछ राहत मिले।

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा राउण्ड तो शुरू नहीं हो सकता।

श्री शारदाभक्तसिंह--

केवल एक मिनट में खत्म करता हूं। मुझे कल खाद्य मन्त्री जी का नोट मिला, यह नोट आन फूड पोजीशन है, इसमें से एक सेंटेंस बताना चाहता हूं--

"As Food Minister I just do not know what must be done and how to face this situation."

इसलिए हम मजबूर हैं कि मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा मांगें।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

आप इसकी हिन्दी कराइये।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैं नहीं छोड़ूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, आप चन्द्रबलीसिंह जी को बाहर कर दीजिये।

(श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल श्री चन्द्रबली सिंह के पास गये। मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री चन्द्रबलीसिंह सदन से बाहर नहीं गये। इस समय विरोधी दलों के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और सदन में अत्यन्त शोर होने लगा।)

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, तो यह सदन २ बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(इस समय ११ बज कर २१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री शारदाभक्तसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रातःकाल ही हम लोगों ने आप से निवेदन किया था कि खाद्यान्न की गम्भीर परिस्थिति के कारण और बाहर जिस तरह की समस्या उग्र रूप लेकर खड़ी है, और किसी कार्यवाही पर विचार करना हमारे लिए बहुत अच्छा न होगा। अभी बाहर ५० हजार आदमियों का प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और विरोधी दल की ओर से मैंने आप को यह अनुभव कराने का प्रयत्न किया कि हम इस बात को बहुत गम्भीरता और कड़ाई से अनुभव कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर जबकि बाहर लोग परेशान हैं और यह सुनना चाहते हैं कि हम लोग उनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग अगर और किसी कार्यवाही को लेकर बैठेंगे तो उनका क्षोभ अधिक बढ़ेगा। उनको यह मालूम होना चाहिए कि विधान सभा उनकी कठिनाई से अवगत है, उनकी कठिनाई सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में है, यह बात हम उनको अनुभव कराना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने इस बात की भी मांग की कि उत्तर प्रदेश का मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे, लेकिन सरकार की तरफ से उसका कोई उत्तर नहीं मिला। जैसा कि आप ने कहा कि हम को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए, तदनुरूप हम लोगों ने एक अविश्वास का प्रस्ताव, जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए पेश कर दिया है, आप के पास भेज दिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज और कोई कार्यवाही न कर के आप हम को अवसर दें और कल जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाने वाला है उस को आज ही ले लें। तभी हम जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि उनके लिए जितना भी दबाव डाला जा सकता था उतना डाला गया है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भ में चन्द्रबलीसिंह जी से बातों में कुछ गरमा-गरमी हो गयी थी। मैं चाहता हूं कि आप उनको क्षमा कर दें ताकि यह बात समाप्त हो जाय। उस कार्यवाही को समाप्त कर के आप इसको ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज दर्शक गैलरी के पास जनता को दिये गये और वे पास अभी तक दर्शकों के पास हैं, उनको वापस नहीं लिया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। इसके सिलसिले में पुलिस उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रही है। जब तक पास कैन्सिल न हों, दर्शकों को नहीं रोका जाना चाहिए। बिना पास कैन्सिल हुए दर्शकों को रोकना ठीक है या गलत, इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात सामने रखी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस आदरणीय सदन से प्रारम्भ में ही मैंने यह निवेदन किया था कि मैं स्वयं उत्सुक हूं कि जो गम्भीर विषय इस समय प्रदेश के समक्ष उपस्थित है, उस पर यह आदरणीय सदन विचार-विनिमय करे, उसके लिए मैं प्रत्येक सुविधा देना चाहता था। अब हमारे सामने नेता विरोधी दल ने यह प्रस्ताव रक्खा है कि वर्तमान परिस्थिति में उनका मन और आदरणीय विरोधीदल के अन्य सदस्यों का मन ऐसा उद्विग्न है कि वे इस विषय के अतिरिक्त और कोई विषय लेना नहीं चाहते। चूंकि एक अविश्वास के प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि पहले उसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली जाय और चूंकि उसको हमने आज के कार्यक्रम में नहीं रखा था, इसलिए उसको हम आज नहीं ले सकते, इसलिए उसको कल लिया जायगा और मैं यह भी चाहता हूं कि यह मसला ऐसा गम्भीर है जिसको हमें टालना नहीं चाहिए। इस वजह से उसके ऊपर अनुज्ञा प्राप्त हो जाने पर तुरन्त ही हम इस पर बहस भी शुरू कर देंगे। जहां तक मुझे इस समय ज्ञात है, दो प्रस्ताव आये हैं, जो कल लिये जायेंगे। मेरे खयाल से जो आदरणीय नेता विरोधी दल का प्रस्ताव है वह अधिक व्यापक है, इस वजह से कदाचित् उसी पर बहस करना उचित होगा, लेकिन कल ही हम उस पर भी विचार करेंगे। रहा आज का प्रश्न . . .

श्री उग्रसेन—

आपकी इजाजत से मैं आप के इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूं कि आप के पास केवल दो ही प्रस्ताव आये हैं। इस आदरणीय सदन के सभी विरोधी दल के सदस्यों की ओर से प्रस्ताव आये हैं, तो मैं समझता हूं कि आप संयुक्त प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आज का जो असरकारी प्रस्ताव है वह श्री मुकुटबिहारी लाल जी के नाम से है। तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उसके लिए वे राजी हैं या नहीं हैं, उन को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

जी हां, मैं राजी हूं, विरोधी दल का प्रस्ताव ले लिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो आश्वासन दिया है, मैं यह नहीं कहता कि उस पर विचार-विनिमय न हो या उस पर कोई कार्यवाही न हो, लेकिन मैं आप के जरिये माननीया मुख्य मन्त्री व उनकी सरकार से यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जब हाउस में उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि दिल से एक मांग की और सारे प्रदेश की जनता की यह मांग है कि इस सरकार के प्रति सारी जनता का अविश्वास हो गया है, क्योंकि अन्न की समस्या को हल करने में यह सरकार बिलकुल असमर्थ रही। श्रीमन्, आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि मेरे पास एक तार आया है कि सारे प्रदेश में, खास कर आजमगढ़, बलिया,

देवरिया में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर दो महीने से गल्ला नहीं मिल रहा है और अन्न की समस्या हल न होने से सारे प्रदेश की जनता की निगाह में यह सरकार गिर गयी है। ऐसी हालत में सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम मांग करें या न करें, उसे स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसे नाजुक वक्त में इस सरकार का बने रहना बेकार है। मैं साफ कहता हूं कि इस सरकार ने और उसके खाद्य मन्त्री ने जान-बूझ कर इस समस्या को बिगाड़ा है और अखबारों में रोज-रोज गलत बयानात देते रहते हैं जिससे सारे प्रदेश की जनता परेशान है। ऐसे नाजुक वक्त में भी यदि आप की सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो इससे आपका बड़प्पन गिरता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सवेरे जो प्रस्ताव रखा गया था उसे आप मान लें और उसके ऊपर सब को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दें और जब तक इस पर विचार न हो जाय सदन को नहीं उठना चाहिए।

एक बात मैं और कह दूं कि हमारे पास लोक लेखा समिति के सभापति श्री बलवान सिंह जी की एक चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्री के पास आयी है जिसमें उन्होंने लिखा है "आपने फूड कमेटी का मेम्बर चुना, उसके लिये धन्यवाद, लेकिन इस प्रदेश की फूड समस्या को हल करने में यह सरकार असमर्थ रही है जिस से आज यह अन्न संकट आया है। यह सरकार की गलत नीति के कारण हुआ है, इसलिये मैं इस कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूं।" जब सरकार इस समस्या को हल करने में असमर्थ रही है, ऐसी अवस्था में अगर हम इस गम्भीर परिस्थिति पर विचार न करें और जब साढ़े सात करोड़ जनता का अविश्वास सरकार के प्रति हो, फिर भी सरकार व उसके मंत्री इस्तीफा न दें तो यह गलत काम करते हैं। मैं जानता हूं कि सरकार स्वयं इस्तीफा नहीं दे सकती। हमारे खाद्य मंत्री श्री जगमोहन सिंह नेगी एक बार नहीं कई बार पब्लिक में बयान दे चुके हैं कि अगर हमने खाद्य की समस्या हल नहीं की तो इस्तीफा दे देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आज जब कि सभी जानते हैं कि वे खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकते हैं तो फिर वे इस्तीफा क्यों नहीं देते? श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि इस लखनऊ शहर में ही पी० ए० सी० की बटालियन घूम रही है। मैं नहीं जानता कि पी० ए० सी० की बटालियन या पुलिस के घूमने से जनता भूखमरी को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? मैं जानता हूं कि यह सरकार जनता के दिलों को नहीं जीत सकती.....

श्री अध्यक्ष--

यह सब तो आप कल भी कह सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं चाहता हूं कि हमारे निवेदन को मुख्य मंत्री जी न ठुकरायें और हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो मांग है उसको वह स्वीकार करें और यहां ऐसा वातावरण पैदा करें कि सब की सहानुभूति आपके साथ हो और सबकी अच्छाई हो।

श्री जेड० ए० अहमद--

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सुबह जो कुछ हुआ वह किन्हीं जजबात या किसी उभार में नहीं हुआ। जो कुछ उस वक्त कहा गया वह सोच-समझ कर, जान-बूझ कर, अकल से कहा गया और एक चीज आपके सामने रखी गयी। जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें खुद इस मंत्रि-मंडल को इस्तीफा देना चाहिये और एक नई मिनिस्ट्री यह बनना चाहिये जो यहां की खाद्य स्थिति को काबू में ला सके। यह गलत बात है कि कानून कायदे की आड़ ले कर जो सवाल यहां सुबह उठाया गया था उसको साल्व कर दें और फिर नये तरीके से अजसरेनौ उस पर बहस शुरू हो। मंत्रिमंडल का यह फौरी फर्ज है कि करोड़ों भूखे इंसानों के नुमाइंदों ने जो बातें यहां कही हैं उन का मंत्रिमंडल यहां आज ही अभी जवाब दे और तब फिर कोई और कार्यवाही यहां हो। यही सही तरीका हो सकता है और मैं समझता हूं कि काफी लोगों की यह ख्वाहिश है कि कैबिनेट

[श्री जेड० ए० अहमद]

के नुमाइंदे यहां बोलें। जो कुछ हमने कहा और ख्वाहिश जाहिर की उसका कोई जवाब उधर से नहीं आया। इसके क्या माने हैं ? या तो हमारी कोई अहिमियत नहीं उनकी निगाह में या जो कुछ यहां पर इधर से कहा गया वह कोई बकवास है या तमाशा था। हमने जो कुछ मांग की है वह सोच-समझकर, मजबूती के साथ जानबूझ कर, मुनासिब समझ कर की है और हम चाहते हैं कि यह मंत्रिमंडल खुद रिजाइन करे और हम जानना चाहते हैं कि वह रिजाइन करेगा या नहीं, यह चीज सारा सदन अभी आज जानना चाहता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, आज जो भुखमरी फैली है उसमें देवरिया जिले में दो आदमी मरे हैं। मुजहना गांव में गांव सभा राधा पुर के अन्तर्गत २४ जुलाई, १९६४ को दिन के ९ बजे एक औरत दुइजो उर्फ कोसीली जौजा जदु गड़ेरी जो खेती मजदूरी का काम करती थी भुखमरी (उपवास) से मृत्यु हो गई। यह सूचना जदु गड़ेरी ने दी है। यह सूचना २४ जुलाई, १९६४ को दी गई और इस रसीद पर जो मृत्यु की सूचना की मेरे पास है गांव सभा के प्रधान के हस्ताक्षर मौजूद हैं। आप देखें कि २६ जून से देवरिया की सस्ते गल्ले की दुकानों पर कोई अनाज नहीं है और वह बन्द है जब कि ५० हजार बोरा माल देवरिया के बाजार में मौजद है, वह गल्ला इधर-उधर बिक रहा है, लेकिन सस्ते गल्ले की दुकानों पर नहीं बिक रहा है और बहुत अधिक दामों पर बाहर बेचा जा रहा है। वहां गेहूं १० आना सेर बिक रहा है। देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र में गाय घाट में रामपति यादव दवा और अन्न न मिलने से मर गये। देवरिया क्षेत्र के मुजहना लाला से भूतपूर्व विधायक श्री रामेश्वर लाल ने सूचना दी है कि दुईजी उर्फ कुसली मर गई .....

श्री अध्यक्ष--

यह सब आप कल कहियेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

कल भी कहना चाहिये और आज भी कहना चाहिये। सरकार इन लोगों को खाना दिला कर इनके प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ रही है और इसने सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर बन्द कर दीं तो फिर यह सरकार इस्तीफा क्यों नहीं देगी इसका जवाब हमें आज अभी मिलना चाहिये। भूतपूर्व विधायक श्री रामेश्वर लाल ने चिट्ठी लिखी कि मुझाना में लोग मर रहे हैं। ३ आदमी मर चुके। सप्लाई आफिसर, कलेक्टर और नेगी साहब कोई भी उनको नहीं बचा सकता। ६० रुपये मन गेहूं और ९० रुपये मन चावल बिक रहा है। अब आम की गुठली भी नहीं मिलती जिसको खा कर लोग ऐसे वक्त में गुजर कर लेते थे, साखू के पेड़ भी सरकार ने कटवा लिये अब साखू के फल भी नहीं मिलते।

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में कहिये। विस्तार में कल कहियेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। नहीं तो विधान सभा को भंग करके खुद आप इस्तीफा दें।

श्री लखपतराम शर्मा--

मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

बताता हूं ।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, मैं अपने जिले और आसपास के जिलों की भी गुप्त खबरें लाया हूं और नगी जी और सुचेता जी सुन लें । आज ही अगर जिलाधीशों को आदेश दें कि परिवार के खाने से चौगुना गल्ला रखने के बाद भी बड़े-बड़े जमींदारों और ताल्लुकेदारों ने जो गल्ला खत्तियों में दबा रखा है उसको निकलवाया जाय तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे जिले में कई हजार मन गल्ला दबा हुआ है । अगर गल्ला न मिले तो मैं उस दिन से आपके यहां बोलना बन्द कर दूंगा, लेकिन आप लोग उनके इशारे पर काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

सरकार की तरफ से कुछ कहना है ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

श्रीमन्, लोगों का बड़ा आग्रह है कि इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से बहस करें तो हम भी चाहते हैं कि अच्छी तरह से बहस हो, जितना बोलना हो बोलें । अगर बोलने से पेट भर जाता तो काम आसान हो जाता । हम लोग इस ग्रेव सेचुएशन को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि लोगों के मन में जो बातें हैं उनको कहें । हम कुर्सी पर बैठे हैं तो जिम्मेदारी से बैठे हैं, जो कुछ आप लोगों को कहना है सही या गलत कहिये ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

आप कुर्सी छोड़िये । कहती हैं कि जिम्मेदारी से बैठी है, मैं कहता हूं कि गैरजिम्मेदारी से बैठी हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं चाहती हूं सारा अपोजीशन यूनाइट हो जाय और कहें कि हमने सर्वसम्मत्ति से डाक्टर अहमद या भानुप्रताप सिंह या रामसुन्दर पांडेय को अपना लीडर बनाया है, मैं उनके फेवर में गवर्नर को रेजिगनेशन पेश कर दूंगी । ईमानदारी से हम सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं । डेमोक्रेसी में आपको क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, कांस्टीट्यूशनल तरीके से हम आपकी राय को सुनना चाहते हैं और उसका जवाब भी देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन २ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ जुलाई, १९६४ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

१—रामगढ़
२—खंडेसरी टोला दुबौली
३—खजुरी गोसाई
४—मुजौना
५—छपिया उमराव
६—झा झाशिव
७—झाझापरसन पिड़हनी
८—परसिया तिवारी
९—डेरवा
१०—डुमरी सेमरा
११—गायघाट
१२—सीघेगोर।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

बस संख्या		जिलों का नाम
१—यू० पी० जी० २२३	..	बलिया
२—यू० पी० जी० २७१	..	बलिया
३—यू० पी० सी० ८६३५	..	जौनपुर
४—यू० पी० सी० ८६३४	..	जौनपुर
५—डी० एल०पी० २०२०	..	गाजीपुर
६—यू० पी० सी० ८६२७	..	जौनपुर
७—पी० एन० ज० ४८६६	..	इलाहाबाद

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६४ के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जगदीश प्रसाद पांडे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में कथित सूची :

ग्राम का नाम	ग्राम का नाम
१--देउरा गांग बरार	३६--तृगनेता
२--अंजी मुस्तहकम	३७--मुरादीपुर खटकहिया
३--सेमरा मुस्तहकम	३८--कंजा मिश्र
४--केवारी मुस्तहकम	३९--सुंगहा बदली
५--डिगरपुर	४०--रमवापुर पांडे
६--तिघरा	४१--पूरेनाथू
७--पैकपुर	४२--पूरे महा
८--खदरा	४३--पूरे हेमधर
९--उमरिया	४४--माझिल गांव
१०--सैनवलिया	४५--पकरी संग्राम
११--देसवाला	४६--सिटकही पांडे
१२--सिरकोहिया	४७--अर्जुनपुर
१३--दफरा	४८--पैकोलिया
१४--सरइया बुजुर्ग	४९--जौकतापुर
१५--रानीपुर	५०--मिटनी खुर्द
१६--जितवापुर	५१--गोटवा
१७--मिटिहा उर्फ अगया	५२--शेरवापुर
१८--दीपपुर	५३--बाड़मंर
१९--पिपरा पत्ती एहतमाली	५४--हरना
२०--सेलहरा	५५--विशुनपुर
२१--महुआपार खुर्द	५६--थाथर
२२--सिरगोटवा	५७--कौवाठौर
२३--खखरा अमानाबाद	५८--रकसा
२४--नौडाड	५९--नौगांव
२५--अम्बरपुर	६०--सरफरा
२६--जमुनी जोत	६१--बिसौवा
२७--रेउरादास	६२--दवरा
२८--काशीपुर	६३--छितौनी
२९--निदुरी खामाहनों	६४--कटार मिश्र
३०--बरहठा	६५--आराजी विशुनपुर
३१--लक्षमनपुर	६६--मौर
३२--सरैया अतिबल	६७--मलहीपुर
३३--भुसेरी	६८--निहेला
३४--कोहल दिवारी	६९--लखनपार
३५--हाही	७०--सतवाडी

ग्राम का नाम	ग्राम का नाम
७१—भगौतीपुर	१११—चिलधरा ग्रान्ट
७२—नाटोला सरपतहा	११२—गोबरधनपुर ग्रांट
७३—अहनारी	११३—काकोरी
७४—नागपारी	११४—मसीअरा
७५—सेखुइया	११५—महादेवा बुजुर्ग
७६—मैंसहवा	११६—कुपिया बुकनियां ग्रांट
७७—कुसमहर	११७—भड़हेर ग्रांट
७८—खेतवल मिश्र	११८—मदरहवा उर्फ मैंसहवा
७९—ककरही	११९—अगया
८०—महुआ	१२०—रामगढ़
८१—भटौली	१२१—पठनी जिनजोत
८२—बैजनाथ	१२२—धौरू कुइयां
८३—खेतवल तिवारी	१२३—खजुरिया
८४—जोगिया	१२४—दुल्हा ग्रांट साउथ
८५—सेमरहा	१२५—कैथोलिया
८६—तीसम	१२६—सेमरी
८७—सेमरा उर्फ गुलेगजवा	१२७—तिलसंडी
८८—सूंसारी	१२८—बरडोहवा
८९—खैरी शीतल प्रसाद	१२९—निविहवा
९०—झुगहवा	१३०—मुडिला
९१—भुतहवा	१३१—बनवारी
९२—पड़रिया	१३२—बकौहा
९३—आंखरइया	१३३—गुलरिहा राजा
९४—तौलीहवा	१३४—सौनखर
९५—रामनगर	१३५—कुसमही
९६—रेकहट	१३६—टंडवाघाट
९७—टीकर	१३७—धौबहा
९८—बसावनपाकर	१३८—सोनबरसा
९९—मानपुर	१३९—मुडिला
१००—रानीहवा	१४०—पड़रिया बुजुर्ग
१०१—नटवाताल	१४१—अकसरा माफी
१०२—हतबड़ ताल	१४२—खदरी
१०३—चित्रापार	१४३—बधनी नानकार
१०४—मनखाई	१४४—किशुन पुरवा
१०५—अजगरा	१४५—बनकटा नं० १
१०६—ताल बगहिया	१४६—बनकटा नं० २
१०७—बन्जरहा बुजुर्ग	१४७—सेमरी घाट
१०८—डुमरिया बुजुर्ग	१४८—रुद्रपुर
१०९—चौरई ताल	१४९—तिलौरा
११०—कुड़जा	१५०—थुमहवा माफी

बांधों का नाम

(१) लखनपार से उस्का बांध का निर्माण-कार्य। (२) चित्तापुर बांध का निर्माण-कार्य।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३ पर)

प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक १

(१) जिलाधीश .. .. सभापति

(२) अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष (जिला परिषदों के संगठन के बाद उसके अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होंगे) .. .. सदस्य

(३) लोक सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सभी सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया या आंशिक रूप से उस जिले के अन्तर्गत पड़ते हों सदस्य

(४) सभी अधिशासी अभियन्ता जिनका कार्यक्षेत्र उस जिले में पड़ता हो .. .. सदस्य

(५) सभी परगनाधीश .. .. .. सदस्य

(६) जिला नियोजन अधिकारी .. .. .. सदस्य

(७) जिला कृषि अधिकारी .. .. .. सदस्य

(८) ड्रेनेज नलकूप डिवीजनों के अधिशासी सहायक अभियन्ता जिनका कार्यक्षेत्र उस जिले में हो .. .. .. सदस्य

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता (यदि कोई अधिशासी अभियन्ता उस जिले में न हो तो नहर के सहायक अभियन्ता) .. .. .. समिति के सचिव ।

यदि किसी जिले में एक से अधिक अधिशासी अभियन्ता हों तो समिति के सचिव की नियुक्ति जिलाधीश द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के परामर्श से की जायगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक २

१९६३ के प्रथम त्रैमास (जनवरी से मार्च) तथा द्वितीय त्रैमास (अप्रैल से जून)

फर्रुखाबाद जिले में जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति का संगठन १ अप्रैल, १९६३ को हुआ था अतः इससे पहले बैठक बुलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे त्रैमास में बैठक बुलाना संभव न हो सका, क्योंकि इससे संबंधित कागजात संबंधित सहायक अभियन्ता को समय से नहीं प्राप्त हो सके थे।

तृतीय त्रैमास (जुलाई से सितम्बर)--

प्रश्न संख्या ५२ के मूल उत्तर में इसकी स्थिति दी जा चुकी है।

चतुर्थ त्रैमास (अक्तूबर से दिसम्बर)--

सिंचाई परामर्शदात्री समिति की बैठक की तिथि का निर्धारण जिला कार्यकारिणी समिति (District Action Committee) की बैठक में ही किया जाता था। चूंकि कार्यकारिणी समिति की ही बैठक उस काल में नहीं हुई, सिंचाई समिति की बैठक की तिथि भी नहीं निश्चित की जा सकी।

सन् १९६४ का प्रथम त्रैमास (जनवरी से मार्च, १९६४)

इलाहाबाद डिवीजन के आयुक्त द्वारा फरवरी तथा मार्च, १९६४ में किये गये जिले के निरीक्षण के संबंध में जिले में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सिंचाई समिति से संबंधित बातों पर भी विचार किया गया था। चूंकि उस बैठक में सिंचाई समिति के लगभग सभी सदस्यों ने भाग लिया था उसकी अलग बैठक बुलाना आवश्यक नहीं समझा गया।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४ पर)

वाराणसी जिले में बड़े जलाशयों पर लागू दरें

अनुसूची २—

फसलें	दरें प्रति एकड़ (रुपयों में)			
	तोड़		डाल	
	रु०	पै०	रु०	पै०
गन्ना	१६	०	८	०
धान, तरकारियां, बाग, प्रति फसल सिंघाड़ा, पोस्ता ..	१०	०	५	०
कपास	३	०	१	.५०
गेहूं , जौ	१०	०	५	०
तम्बाकू	१२	०	६	०
चारा	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०
अन्य रबी की फसलें	५	०	२	.५०
अन्य खरीफ की फसलें	५	०	२	.५०

वाराणसी जिले में बंधियों पर लागू दरें—

अनुसूची ३—

फसलें	दरें प्रति एकड़ (रुपयों में)			
	तोड़		डाल	
	रु०	पै०	रु०	पै०
गन्ना	८	०	४	०
धान, तरकारियां, बाग प्रति फसल सिंघाड़ा, पोस्ता ..	४	०	२	०
अन्य खरीफ की फसलें तथा सभी रबी की फसलें ..	४	०	२	०
कपास	२	०	१	०
चारा	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६ पर)

गिरौरा माइनर, गंगा नहर, मेरठ डिवीजन की टेल पर स्थित ग्राम चठेरा, ग्राम पाली तथा शकरपुर में दिसम्बर, १९६३ और जनवरी, १९६४ में निम्नलिखित सिंचाई हुई--

ग्राम			दिसम्बर, १९६३ तक	जनवरी, १९६४ तक	योग
			एकड़	एकड़	एकड़
चठेरा	..	..	१२३	..	१२३
पाली	..	..	८२	१०	९२
शकरपुर	..	..	२६	..	२६

जहां तक गिरौरा माइनर के कमान्ड में स्थित इन गांवों के रबी की फसल के क्षेत्रफल के आंकड़े का प्रश्न है, सिंचाई विभाग में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं होता जिस से यह ज्ञात हो सके कि कितने क्षेत्र में रबी की फसलें बोई गईं।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७ पर)

क्रम-संख्या	नदी का नाम	ग्राम का नाम	रकबा जो इस वर्ष (१३७१ फसली में) कटा
१	राप्ती नदी ..	बैरिया खास ..	५—००
२	,, ,, ..	असवनपार एह० ..	१—००
३	,, ,, ..	भेड़ी ..	०—०४
४	,, ,, ..	भरवलिया ..	२—००
५	,, ,, ..	चिउटहा ..	१—००
६	घाघरा नदी ..	जैतपुर ..	४०—००
७	,, ,, ..	कुन्डा ..	३०—००
८	,, ,, ..	खड़सरी एह० ..	१५—००
९	,, ...	डेरवा ..	५—००
१०	,, ,, ..	खुट्टी चक ..	५—००
११	,, ,, ..	पटना ..	३—००
१२	,, ,, ..	कोलखास ..	१५—००
१३	,, ,, ..	सरया एह० ..	०—५०
१४	,, ,, ..	रतनपुर एह० ..	२—१०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८ पर)

सूची क

सीनियारिटी लिस्ट (ड्राइवर वर्डघाट डिपो, गोरखपुर क्षेत्र)

क्रम-संख्या	नाम	अभियुक्ति
१	२	३
१	श्री राम चन्द्र पाण्डेय	..
२	श्री कबलधारी पाण्डेय	..
३	श्री वंशराज सिंह	..
४	श्री गजराज पाण्डेय	..
५	श्री मारकण्डे तिवारी	..
६	श्री रघुनाथ प्रसाद	..
७	श्री गोपाल सिंह	..
८	श्री शारदा प्रसाद	..
९	श्री बटुकदेव तिवारी	रिलीविंग ड्यूटी में
१०	श्री राम सिंगार	..
११	श्री राज बली दुबे	..
१२	श्री भगवती प्रसाद तिवारी	..
१३	श्री राम बदन सिंह	..
१४	श्री राम दुलार	..
१५	श्री असगर अली	रिलीविंग ड्यूटी में
१६	श्री बेनी माधव शुक्ल	..
१७	श्री कृष्ण प्यारे उपाध्याय	रिलीविंग ड्यूटी में
१८	श्री विश्वनाथ मिश्र	..
१९	श्री रामा शंकर गुप्ता	..
२०	श्री रामचन्द्र पाण्डेय २	रिलीविंग ड्यूटी में
२१	श्री सुदर्शन दुबे	..
२२	श्री शिव नरायन पाण्डेय	ट्राफिक स्पेयर में
२३	श्री साधू सरन पाण्डेय	..
२४	श्री श्यामाचरणलाल	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम	अभियुक्ति
१	२	३
२५	श्री रमा शंकर सिंह	..
२६	श्री कन्हई प्रसाद	..
२७	श्री राम चन्द्र तिवारी	..
२८	श्री राम चन्द्र पाण्डेय ३	..
२९	श्री मोहम्मद इब्राहिम	..
३०	श्री राजेन्दर पान्डेय	..
३१	श्री शकल दीप मिश्रा	..
३२	श्री रामदेव सिंह	रिलीविंग ड्यूटी में
३३	श्री सर्वोदय	..
३४	श्री जोखू सिंह	..

विधान सभा सचिवालय